My Notes.....

राष्ट्रीय

अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की 'सेंचुरी'

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने साल 2018 की शुरुआत बड़े ही धमाकेदार अंदाज में की है। इसरो ने **12 जनवरी को 31 उपग्रहों को एक साथ लांच करके एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया।** इसमें **28 विदेशी और तीन स्वदेशी उपग्रह हैं।** इसी लांच के साथ इसरो ने खुद का बनाया हुआ **100वां उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करके नाबाद शतक भी लगा दिया।**

क्या है

1. इसरो के भरोसेमंद प्रक्षेपण यान **पोलर सेटेलाइट लांचिंग व्हीकल (पीएसएलवी) से अभियान लांच हुआ।** यह **पीएसएलवीसी40 की 42वीं उड़ान** थी। इसमें भेजे गए **31 उपग्रहों का कुल वजन 1,323 किग्रा है।**
2. **इसमें 710 किग्रा कार्टोसेट-2** का और 613 किग्रा अन्य उपग्रहों का था। **पीएसएलवी ने पहली सफल उड़ान 1994 में भरी थी।** 44 मीटर लंबा पीएसएलवी भू-स्थिर कक्षा तक 3800 किग्रा तक पेलोड ले जा सकता है।
3. **31 में से 28 उपग्रह छह देशों के हैं।** इनमें से **कनाडा, ब्रिटेन, फिनलैंड और फ्रांस का एक-एक उपग्रह है। पांच उपग्रह दक्षिण कोरिया के हैं।** इनके अलावा **19 उपग्रह अमेरिका के हैं।** विदेशी उपग्रहों में **25 नैनोसेटेलाइट और तीन माइक्रोसेटेलाइट हैं।**

तीन स्वदेशी उपग्रह

1. **माइक्रोसेट :** 100 किग्रा का **माइक्रो सेटेलाइट श्रेणी का यह उपग्रह ही अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला इसरो का 100वां उपग्रह है।** इसे पृथ्वी से 359 किमी ऊपर स्थापित किया गया है। इसे तकनीकी शोध के लिए भेजा जा रहा है।
2. **आइएनएस-1सी : इंडियन नैनो सेटेलाइट-1सी (आइएनएस1सी)** नामक यह उपग्रह इस श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है। दो उपग्रह फरवरी 2017 में भेजे जा चुके हैं। इनसे देश में नक्शे बनाने, कृषि पर नजर रखने, प्रदूषण तत्वों और बादलों पर शोध संभव हो सकेगा।
3. **कार्टोसेट-2 :** यह अंतरिक्ष में भेजे जा चुके **कार्टोसेट-2 श्रृंखला के छह उपग्रहों की ही तरह रिमोट सेंसिंग उपग्रह है।** इसका वजन 710 किग्रा है। यह पृथ्वी से 505 किमी ऊपर **सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित होगा।**इसमें लगे पैनक्रोमैटिक और मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरों से देश में मानचित्र बनाना, समुद्र तटों की

104 स्वदेशी उपग्रह

1. **इसरो 1975 से 2017 तक 101 स्वदेशी उपग्रह लांच कर चुका था।** लेकिन **इसमें सिर्फ 99 उपग्रह ही उसने पूरी तरह से खुद बनाए हैं।**
2. अन्य दो में से **एक एनआइयूसेट को तमिलनाडु की नूरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी ने बनाया था,** जिसे 23 जून, 2017 को लांच किया गया।
3. **आइआरएनएसएस-1एच को निजी कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया था।** अब यह संख्या 104 हो गई।

जानिए कार्टोसैट -2 की ताकत

1. कार्टोसैट-2 उपग्रह एक बड़े कैमरे की तरह है।
2. इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे भी लगे हैं।
3. इसे 'आई इन द स्काई' यानी आसमानी आंख भी कह सकते हैं।
4. यह एक अर्थ इमेजिंग उपग्रह है।
5. सीमा पर नजर रखने के लिए कार्टोसैट-2 इसरो की मदद करेगा।
6. इससे उच्च क्वालिटी की तस्वीर मिलेगी।
7. सटीक मैप बनाने में भी यह उपयोगी होगी।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

निगरानी, सड़क नेटवर्क का पर्यवेक्षण, जल वितरण समेत भौगोलिक पर्यवेक्षण भी संभव होगा।

237 विदेशी उपग्रह

1. **भारत का यह अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र आज से पहले तक 28 देशों के 209 उपग्रह लांच कर चुका था।** यह संख्या 237 हो गई।
2. इन देशों में ब्रिटेन, चेक गणराज्य, फ्रांस, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, चिली, लातविया, इटली, अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, कजाखिस्तान, इजरायल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, अल्जीरिया, तुर्की, दक्षिण कोरिया और अर्जेंटीना हैं।

'चुनावी बॉन्ड' पेश

केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को **राजनीतिक चंदे में स्वच्छता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की रूपरेखा की घोषणा कर दी।** वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह **एक हजार रुपये, दस हजार रुपये, एक लाख रुपये, 10 लाख रुपये और एक करोड़ रुपये के मूल्य में उपलब्ध होंगे।** इसे अधिसूचित किया जा रहा है। लोकसभा में चुनावी बॉन्ड का उल्लेख करते हुए जेटली ने कहा कि **इस व्यवस्था से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।** इस दिशा में यह एक महत्वूपर्ण कदम है जिसकी **घोषणा बजट 2017-18 में सरकार ने की थी।**

क्या है

1. **आम बजट के दौरान चुनावी बॉन्ड शुरू करने का ऐलान किया था।** सरकार अब इस व्यवस्था को अंतिम रूप दे चुकी है और लागू करने जा रही है।
2. **राजनीति दलों को चंदा देने वाले लोग भारतीय स्टेट बैंक की कुछ तय शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकेंगे।** तय मियाद के भीतर पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर बॉन्ड देने होंगे।

3. वित्त मंत्री ने कहा कि **ये चुनावी बॉन्ड उन्हीं पंजीकृत राजनीतिक दलों को दिये जा सकेंगे जिनको पिछले चुनाव में कम से कम एक फीसदी वोट मिला हो।** राजनीतिक दल इन चुनावी बॉन्ड को भुना सकेंगे।
4. **यह बॉन्ड एक हजार रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये के मूल्य तक में उपलब्ध होंगे।** राजनीतिक दलों को चंदे देने के लिए **ब्याज मुक्त बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक** से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर महीने में खरीदे जा सकते हैं।
5. **चुनावी बॉन्ड पर देने वाले का नाम नहीं होगा और इसे केवल अधिकृत बैंक खाते के जरिये 15 दिन के भीतर भुनाया जा सकेगा।**
6. वर्तमान समय में राजनीतिक दलों में ज्यादातर चंदा नकदी में मिलता है और इसमें पारदर्शिता न के बराबर होती है। इस व्यवस्था के आने से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में स्वच्छता और काफी हद तक पारदर्शिता आएगी।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

'नारी' पोर्टल का शुभारंभ

महिलाओं को सरकार की ओर से उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी और अपडेट पाने के लिए अब इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्हें **केन्द्र और राज्य की योजनाओं की सारी जानकारी** एक साथ एक जगह 'नारी' पोर्टल पर मिलेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने 2 जनवरी 2018 को इस पोर्टल का शुभारंभ किया।

क्या है

1. **केन्द्र और राज्यों की कुल मिला कर करीब 350 योजनाएं चल रही हैं।** लेकिन शायद ही कोई होगा जिसे सबकी जानकारी होगी क्योंकि सूचनाएं अलग अलग जगह बिखरी पड़ी हैं।
2. मेनका गांधी ने पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि **पहली बार इस देश की महिलाएं सरकार द्वारा उन्हें दिये जा रहे लाभों और योजनाओं की जानकारी एक साथ एक जगह पा सकेंगी।** उन्होंने इसके साथ ही **ई संवाद पोर्टल का भी शुभारंभ किया** जिसमें गैर सरकारी संगठन और सिविल सोसाइटी के लोग सरकार को सुझाव और फीड बैक दे सकेंगे।
3. **नारी पोर्टल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी के अलावा उसका रियल टाइम अपडेट भी उपलब्ध होगा।** पोर्टल पर संबंधित मंत्रालय व विभाग का लिंक मिलेगा साथ ही आसानी से आनलाइन आवेदन और मदद पाने की सुविधा भी होगी।
4. यहां महिलाओं की जिंदगी प्रभावित करने वाले हर मुद्दे पर जानकारी उपलब्ध होगी जैसे कि स्वास्थ्य जांच के टिप्स, गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी, नौकरी खोजने और साक्षात्कार के बारे में टिप्स, महिलाओं को निवेश और बचत के सुझाव।
5. साथ ही **महिलाओं के खिलाफ अपराध और उसे दर्ज कराने की प्रक्रिया के और कानूनी मदद उपलब्ध कराने वाले प्रकोष्ठ का संपर्क नंबर भी उपलब्ध होगा।** सरकार का मानना है कि महिलाओं को योजनाओं की जानकारी होगी तो वे उसका लाभ उठा सकेंगी।

संसद में पेश हुआ मिलावट खोरों पर कानून

नये उपभोक्ता संरक्षण कानून में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने का कड़ा प्रावधान किया है। **नकली उत्पादन बनाने, बेचने और मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।** उपयुक्त कानून के अभाव में अभी तक ऐसे अपराधी आसानी से छूट जाते हैं। **नये उपभोक्ता कानून के मसौदे पर आपराधिक अदालतों में मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है।** ऐसे अपराधियों पर उपभोक्ताओं के नुकसान के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें उनके ऊपर भारी आर्थिक जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

क्या है

1. लोकसभा में 5 जनवरी 2018 को पेश किये गये **नये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2018** में उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़े कई नये विषय भी जोड़ दिये गये हैं, जो अब तक इसमें शामिल नहीं थे।
2. **मिलावटी व नकली वस्तुओं का उत्पादन व बिक्री करने वालों पर कार्रवाई** करने का अधिकार ही नहीं था। **वर्ष 1986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे** से यह विषय बाहर था, जिसे अब शामिल कर लिया गया है।
3. केवल खाद्य वस्तुओं में मिलावट का मसला **फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के दायरे में था,** बाकी वस्तुओं पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं के बराबर था।
4. शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन पेश इस विधेयक के अगले बजट सत्र में पारित होने की संभावना है। **यह पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 का स्थान लेगा।**
5. जबकि पुराने कानून को संशोधित करने के बारे में संसद की स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश में इस विषय पर गंभीर चिंता जताई थी। समिति ने अपनी सिफारिश में इसे शामिल करने के साथ सख्त कानूनी प्रावधान की सिफारिश की थी।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

6. **मिलावट करने वाले अपराधियों पर लगाम कसने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा।** प्राधिकरण उन मामलों को देखेगा जो नकली सामान बनाने, भंडारण करने, बेचने और वितरण करेगा, जिसका कुप्रभाव जाने अनजाने उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
7. इसके लिए उपभोक्ता अदालतों का पूरा ढांचा मजबूत बनाया जाएगा, जिसमें आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतें भी शामिल होंगी।

आवासीय योजनाओं की गाइडलाइंस में संशोधन

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत आवासीय योजनाओं के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत **शहरी क्षेत्र की अधिकाधिक आवासीय योजनाओं को कवर किया जा सके।**

क्या है

1. **नई संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार** अधिसूचित योजनाओं या **किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या शहरी विकास प्राधिकरण** या प्रदेश के कानून के तहत आने वाले किसी अन्य नगरीय आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाया गया है।
2. शर्त बस इतनी है कि इन क्षेत्रों को पीएमएवाय(यू) के तहत शहरी योजना और नियमों का पालन करना होगा।
3. **इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय योजनाओं का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है।** यहां भी आवास बनाने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हो रहा है।
4. स्थायी रूप से पीएमएवाय(यू) की वेटिंग लिस्ट के लाभार्थियों को लचीला रुख अपनाते हुए पीएमएवाय(जी) या पीएमएवाय(यू) से भी मदद दी जा सकती है।

IIM विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

नए कानून के तहत अब भारतीय प्रबंध संस्थानों (आइआइएम) को ज्यादा स्वायत्तता हासिल होगी। उनके कामकाज में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होगा। उन्हें अपने **स्नातकों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की बजाय डिग्रियां प्रदान करने का भी अधिकार होगा। भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक-2017** को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है। लोकसभा ने इसे जुलाई-2017 और राज्यसभा ने 19 दिसंबर को पारित किया था। कानून के तहत सभी आइआइएम को निदेशकों और फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति समेत उनके संचालन की वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

क्या है

1. पिछले महीने राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा भी था, **'विधेयक में इन संस्थानों को ज्यादा स्वायत्तता दी गई है'।**
2. इस विधेयक के जरिये आइआइएम के कामकाज में सरकार और नौकरशाही का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा। वे इसका फैसला स्वयं करेंगे कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों का प्रबंधन और संचालन कैसे करें।
3. अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, **प्रत्येक संस्थान का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही उनका मुख्य कार्यकारी निकाय होगा और इसमें 19 सदस्य होंगे।**
4. यह बोर्ड उद्योग, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन या लोक प्रशासन के क्षेत्र की किसी प्रख्यात शख्सियत को अपना चैयरपर्सन नियुक्त करेगा। बोर्ड में केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार का भी एक-एक प्रतिनिधि होगा। हर संस्थान का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक निदेशक की भी नियुक्ति करेगा, जो संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

सऊदी अरब ने समुद्री मार्ग से हज यात्रा को दी मंजूरी

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि, "सऊदी अरब सरकार ने भारत से पानी के जहाज द्वारा हज यात्रा को हरी झंडी दे दी है और दोनों देशों के सम्बंधित अधिकारी आवश्यक औपचारिकताओं एवं तकनीकी पहलुओं पर काम शुरू करेंगे ताकि आने वाले वर्षों में समुद्री मार्ग से हज यात्रा को दोबारा शुरू किया जा सक"। आधिकारिक बयान के मुताबिक सऊदी अरब के मक्का में नकवी ने सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ मुहम्मद सालेह बिन ताहिर बिनतेन के साथ **हज-2018 के सम्बन्ध में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया।**

क्या है

1. **इस दौरान सऊदी अरब सरकार ने भारत से पानी के जहाज से हज यात्रा दोबारा शुरू किये जाने को हरी झंडी दे दी।** हज यात्रियों का **मुंबई से समुद्री मार्ग के जरिए जेद्दा जाने का सिलसिला 1995 में रुक गया था।**
2. हज यात्रियों को जहाज (समुद्री मार्ग) से भेजने पर यात्रा संबंधी खर्च काफी कम हो जायेगा। **नई तकनीक एवं सुविधाओं से युक्त पानी के ये जहाज एक समय में चार से पांच हजार लोगों को ले जाने में सक्षम हैं।**
3. **मुंबई और जेद्दा के बीच की दूरी 2,300 समुद्री मील है।** एक तरफ की दूरी सिर्फ तीन-चार दिन में पूरी की जा सकती है, जबकि पहले पुराने जहाज से 12 से 15 दिन लगते थे।
4. पानी के जहाज से भी हज यात्रा को दोबारा शुरू किये जाने पर पिछले वर्ष पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनकी बैठक हुई थी।
5. नकवी ने कहा, पानी के जहाज से हज यात्रा शुरू करने के मुद्दे पर भारत और सऊदी अरब के अधिकारी सभी तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारी कोशिश है कि आने वाले वर्षों में भारत से पानी के जहाज से हज यात्रा दोबारा शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि, **इस बार हज 2018 शत प्रतिशत डिजिटल ऑनलाइन कर दिया गया है।** भारत की इस पारदर्शी, सरल एवं डिजिटल हज व्यवस्था की सऊदी अरब सरकार ने सराहना की है।

धारा 377 की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट धारा 377 पर अपने ही फैसले पर फिर से विचार करने के लिए तैयार है। आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से हटाने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ के पास भेजा। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा कर रहे हैं, धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर विचार करेगी। **इस कानून के तहत साल 2013 में देश में गे सेक्स को अपराध घोषित किया गया था**

क्या है

1. **साल 2009 में दिल्ली**

क्या है धारा 377

1. **धारा 377 के दायरे में समलैंगिक, लेस्बियन, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स संबंध** रखने वाले लोग आते हैं। **ब्रिटिश राज में सन् 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा** इस पर कानून बनाने की सहमति हुई थी जो आज धारा 377 के रूप में संविधान में इंगित है।
2. इस कानून में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि प्रकृति के खिलाफ अगर कोई भी पुरुष, महिला अपने ही समान लिंग वालों से शारीरिक संबंध बनाता है या विवाह करता है तो इस अपराध के लिए उसे सजा दी जा सकती है और साथ में उसे आर्थिक जुर्माना भी भरना पढ़ेगा। **इस धारा के अधीन, कारावास बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है।**
3. समलैंगिक अधिकारों के पक्षधरों का आरोप है कि पुलिस इस कानून का गलत इस्तेमाल करती है। **इसी आधार पर देश में पहली बार इस कानून को लेकर नाज फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में 2001 में एक जनहित याचिका भी दायर की थी** जिस पर हाल में आए फैसले के बाद यह मुद्दा गर्माया है।
4. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। भारत में यह कानून अभी मौजूद है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा कानून समाप्त किया जा चुका है।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

हाईकोर्ट ने धारा 377 को रद्द कर दिया था। दिल्ली स्थित ज्योतिष सुरेश कुमार कौशल उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। 11 दिसंबर, 2013 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने अपने फैसले में **अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 की वैधता बरकरार रखी थी।**

2. सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 को बदलने के लिए कोई संवैधानिक गुंजाइश नहीं है। धारा 377 के तहत दो व्यस्कों के बीच समलैंगिक रिश्ते को अपराध माना गया है।

माटुंगा स्टेशन को मिली लिमका बुक में जगह

मुंबई के उपनगरीय माटुंगा रेलवे स्टेशन को लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है क्योंकि **इस स्टेशन पर तैनात सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। माटुंगा स्टेशन छह महीने पहले देश का पहला स्टेशन बना था** जिसके परिचालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिलाओं को सौंपी गई थी।

क्या है

1. रेलवे के एक अधिकारी ने बताया, हम यह सूचित करके प्रसन्न हैं कि **माटुंगा स्टेशन का उल्लेख लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स-2018 में किया गया है।**
2. उन्होंने कहा, इसका श्रेय मध्य रेलवे के महाप्रबंधक डी.के. शर्मा को जाता है जिन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए यह कदम उठाया।
3. **इस स्टेशन पर 41 कर्मचारी तैनात हैं**, जिसमें आरपीएफ और दूसरे विभागों के कर्मी भी शामिल हैं। ये लोग स्टेशन प्रबंधक ममता कुलकर्णी के तहत काम कर रही हैं।
4. मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील उदासी ने बताया, पिछले छह महीने से महिला कर्मचारी ही 24 घंटे स्टेशन का कामकाज संभाल रही हैं और इसके नतीजे सकारात्मक और उत्साहजनक रहे हैं।

सिख दंगा के लिए SIT का गठन

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 186 मामलों की जांच फिर से शुरू होगी। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रिटायर जज एस एन धींगरा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है।एसआईटी के अन्य दो सदस्य रिटायर **आईपीएस राजदीप सिंह और वर्तमान आईपीएस अभिषेक दुलार हैं।** एसआईटी दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर पिंकी आनंद ने इन नामों का सुझाव दिया जिसे दोनों पक्षों की सहमति के बाद कोर्ट ने स्वीकार किया।

क्या है

1. इससे पहले **मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुपरवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट** देख कर कहा कि इसमें पाया गया है कि **एसआइटी ने 241 में से 186 मामलों की आगे जांच नहीं की।**
2. पीठ ने कहा कि मामलों की प्रकृति को देखते हुए उन्हें लगता है कि **इन 186 मामलों की जांच के**

पृष्ठभूमि

1. **इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में हजारों की संख्या में सिख मारे गए थे।** इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिख अंगरक्षकों ने की थी।
2. इंदिरा की हत्या के बाद पूरे भारत में दंगे की आग भड़की थी। इन दंगों में 3000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 2000 से ज्यादा लोग सिर्फ दिल्ली में ही मारे गये थे।
3. नरंसहार के बाद सीबीआई ने कहा था कि ये दंगे राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और दिल्ली पुलिस ने मिल कर कराये हैं। उस समय तत्कालीन पीएम राजीव गांधी का एक बयान भी काफी सुर्खियों में था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तब पृथ्वी भी हिलती है।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

लिए नयी एसआइटी गठित होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि मामलों की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआइटी गठित की जाएगी।

3. एसआइटी गठन के लिए पीठ ने केन्द्र सरकार की ओर से पेश एएसजी पिंकी आनंद और याचिकाकर्ता के वकील एचएस फूलका से तीन नाम देने को कहा था।

प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन

प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2018 नई दिल्ली में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के मन से भारत कभी नहीं मिटा। पीएम मोदी ने कहा कि **आपको यहां देखकर आपके पूर्वजों को कितनी प्रसन्नता हो रही होगी**, इसका अंदाजा हम सभी लगा सकते हैं। वो जहां भी होंगे, आपको यहां देखकर बहुत खुश होंगे। **सैकड़ों वर्षों के कालखंड में भारत से जो भी लोग बाहर गए,** भारत उनके मन से कभी बाहर नहीं निकला। प्रवासी भारतीय ने जहां एक तरफ खुद में भारतीयता को जीवित रखा, तो दूसरी तरफ वहां की भाषा, वहां के खान-पान, वहां की वेश-भूषा में भी पूरी तरह घुल-मिल गए।

क्या है

1. पीएम मोदी ने कहा कि आपने अनुभव किया होगा कि **पिछले तीन-चार वर्षों में भारत के प्रति नजरिया बदल गया है।** हम पर फोकस बढ़ रहा है, विश्व का हमारे प्रति नजरिया बदल रहा है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि भारत स्वयं बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
2. प्रवासी भारतीयों की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि देश का गौरव बढ़ाने के लिए भारत के प्रवासी बधाई के हकदार हैं। व्यापार करने के लिए हमने नियम में सुधार किये।
3. पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जो भी निवेश हुआ है। उसका आधा निवेश पिछले 3 सालों में हुआ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से देश का सुधार किया है। सैकड़ों टैक्स के जाल से भारत को निकाला है। भारत अभी दुनिया का सबसे नौजवान देश है।
4. पीएम मोदी ने कहा कि हमने दोगुनी गति से रेलवे लाइनों का दोहरीकरण किया है। **हाईवे, रेलवे, एयरवेज और पोर्ट को विकसित कर रहे हैं।** राज्यों को किरोसिन मुक्त बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। उज्जवला योजना से देश की 3 करोड़ महिलाओं को इससे फायदा हुआ है।

9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस

भारत सरकार हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है। दरअसल, **महात्मा गांधी इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से साल 1915 में स्वदेश वापस लौटे थे** महात्मा गांधी को सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है जिन्होंने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।

भारतीय प्रवासी दिवस का उद्देश्य

1. अप्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, भावना की अभिव्यक्ति, देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।
2. विश्व के सभी देशों में अप्रवासी भारतीयों का नेटवर्क बनाना।
3. युवा पीढ़ी को अप्रवासियों से जोड़ना।
4. विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमजीवियों की कठिनाइयां जानना तथा उन्हें दूर करने की कोशशि करना।
5. भारत के प्रति अनिवासियों को आकर्षित करना।
6. निवेश के अवसर को बढ़ाना।

5. त्याग और सेवा की भावना की पहचान भारत है। हम पड़ोसी देशों में संकट आने पर मदद करते हैं। यमन से संकट आया तो हमने 4500 भारतीयों को निकला। 48 देशों के 2000 लोगों को भी निकाला। नेपाल में भूकंप के दौरान भारत उनके साथ खड़ा रहा।
6. **प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन में 23 देशों के भारतीय मूल के 140 से अधिक सांसद और मेयर के शामिल होने की उम्मीद है।** इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों से संपर्क के जरिए इन देशों से संबंध मजबूत बनाना है।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

7. इस सम्मेलन में अमेरिका, मलेशिया, स्विटजरलैंड, गुयाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो सहित अन्य देशों से 17 मेयर के भी यहां दिन भर के कार्यक्रम में शरीक होने का कार्यक्रम है। अमेरिका में अभी सीनेट का सत्र चल रहा है, ऐसे में वहां से प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं। श्रीलंका को छोड़ कर किसी अन्य दक्षेस देश को आमंत्रण नहीं भेजा गया।

शत्रु संपत्तियां होंगी नीलाम

देश में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की करीब 9,400 शत्रु संपत्तियों को नीलाम करने की तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसी संपत्तियों के पहचान की प्रक्रिया शुरू की है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि **49 साल पुराने कानून में संशोधन के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।** हाल ही में हुई बैठक के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बताया गया कि **6,289 शत्रु संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।** शेष 2,991 संपत्तियां जो संरक्षक को सौंपी गई हैं, उनके सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाना है। इसके बाद राजनाथ सिंह ने **बाधा रहित संपत्तियों को जल्द बेचने का निर्देश दिया।** अधिकारी ने बताया कि इन संपत्तियों के बेचने से सरकार को करीब एक लाख करोड़ रुपये की भारी धनराशि प्राप्त होगी। पाकिस्तान में भारतीयों की ऐसी ही संपत्तियों को बेच दिया गया है।

क्या है शत्रु संपत्ति

1. **पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों की भारत में छोड़ी गई संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाता है।**
2. **नए शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं पुष्टि) कानून के तहत विभाजन** के दौरान पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों की भारत में छोड़ी गई संपत्ति पर उनके वारिस का दावा नहीं होगा। **इन संपत्तियों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए भारतीय शत्रु संपत्ति संरक्षक को सौंप दिया गया है।**
3. **पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई 9,280 संपत्तियों में से सबसे ज्यादा 4,991 उत्तर प्रदेश में हैं।** इसके बाद पश्चिम बंगाल में 2,735 और दिल्ली में 487 ऐसी संपत्तियां हैं।
4. **चीनी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई 126 संपत्तियों में सबसे ज्यादा 57 मेघालय में हैं।** जबकि पश्चिम बंगाल में 29 और असम में सात हैं।
5. **1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद ऐसी संपत्तियों के नियमन के लिए 1968 में शत्रु संपत्ति कानून बनाया गया।** इसमें संरक्षक को शक्तियां प्रदान की गईं। महमूदाबाद के राजा के नाम से मशहूर राजा मुहम्मद आमिर मुहम्मद खान के वारिसों के दावे के बाद सरकार ने 2017 में कानून में संशोधन किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उनकी काफी संपत्तियां हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना आदेश

सिनेमाहाल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव कर दिया है। अब शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि **सिनेमाहाल में राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं है।** इसे अनिवार्य किए जाने पर कई लोगों ने इसका विरोध किया था। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। विरोध करने वालों को देशद्रोही माना जाने लगा था। वहीं विरोधी पक्ष का कहना था कि वे मनोरंजन के लिए सिनेमाहाल जाते हैं, **उन पर जबरदस्ती देशभक्ति ना थोपा जाए।**

क्या है

1. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वह अपने आदेश में बदलाव करे। **चार पेज के हलफनामे में केंद्र ने तर्क दिया था कि वह एक अंतर मंत्रीमंडलीय समिति का गठन करने जा रहा है।** उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार नए सिरे से अधिसूचना जारी करेगी। तब तक अदालत आदेश पर रोक लगाए।
2. **सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 के आदेश में सिनेमाहाल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान के बजाने को अनिवार्य कर दिया था।** उस दौरान लोगों को हर हाल में खड़े होना था। हालांकि बाद में दिव्यांगों के लिए अदालत ने अपने आदेश में संशोधन भी किया था।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

3. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला श्याम प्रसाद चौकसे की याचिका पर सुनाया था। उनकी मांग थी कि **आम जन में राष्ट्र के प्रति सम्मान जगाने का यह कारगर तरीका है।**
4. 23 अक्टूबर को अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सिनेमाहाल में राष्ट्रगान बजाने का फैसला बेहतरीन है और इससे सारे देश में एकता का भाव पैदा होता है, लेकिन यह काम सरकार पर छोड़ना चाहिए कि राष्ट्रगान कैसे बजाया जाए और लोग किस तरह से उसके प्रति सम्मान दर्शाएं।
5. सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपना फैसला सुनाते हुए **यह माना था कि लोगों की देशभक्ति का पता लगाने के लिए राष्ट्रगान पर खड़ा होना भर कोई पैमाना नहीं है।** जबकि लोग इसे देशभक्ति से जोड़कर देखने लगे थे और जो सिनेमाहाल में राष्ट्रगान बजाने पर खड़े नहीं हो रहे थे, उन्हें आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थी। कई बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल हैं। कई नेताओं ने बागी तेवर अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से इंकार भी कर दिया था। इसको लेकर काफी फजीहत भी हुई थी।

NRC का पहला ड्राफ्ट जारी

असम में **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का पहला मसौदा जारी किया गया**। इस मसौदे में सिर्फ 1.9 **करोड़ लोगों को ही अबतक भारत का वैध नागरिक माना गया है**, बाकि के नाम सत्यापन के विभिन्न चरणों में हैं। इसकी जानकारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल शैलेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया यह मसौदा वर्ष 2018 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा।

एनआरसी है क्या?

1. **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी भारतीय नागरिकों के नाम वाला रजिस्टर है,** जो केवल **वर्ष 1951 में तैयार किया गया था,** जो अब असम में अवैध प्रवासियों को ढूंढ निकालने के लिए अपडेट किया जा रहा है।
2. संगठन ने सत्यापन के लिए कुल 3.29 करोड़ आवेदन प्राप्त किए थे और शेष नाम पूरी तरह से जांच के बाद बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अगले ड्राफ्ट में जांच की पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये नाम उजागर किए जाएंगे।
3. अगले मसौदे का जिक्र करते हुए रजिस्ट्रार जनरल शैलेश कुमार ने कहा, हम इसे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें निर्देशित किया है। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में पिछले तीन साल में 40 से ज्यादा सुनवाई हो चुकी हैं। अगले माह फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है, जहां हम सम्माननीय अदालत के समक्ष सभी तथ्यों को रखेंगे और हमें प्राप्त होने वाले निर्देशों के आधार पर हम मसौदा प्रकाशित होने के बाद कोई फैसला लेंगे।'

इन साइटों पर मिलेगी पूरी जानकारी

1. **यह प्रक्रिया दिसंबर 2013 में शुरू हुई** और 2015 में असम राज्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ऑनलाइन रिलीज हुए एनआरसी को viz.,nrcassam.nic.in. assam.mygov.in and assam.gov.in. पर देखा जा सकता है। यहां आवेदक अपने आवेदन रसीद संख्या दर्ज करके उनके नाम की जांच कर सकते हैं।
2. **असम में बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या के संकट के मद्देनजर नागरिक सत्यापन के आवेदन लेने की प्रक्रिया वर्ष 2015 से शुरू की गई।** असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या वर्षों पुरानी है।
3. **सबसे पहले मौजूदा प्रक्रिया वर्ष 2005 में कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुई थी।** भाजपा के सत्ता आने पर इसे हवा मिली। भाजपा के घोषणा पत्र में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मसले का जिक्र था। फिलहाल 31 दिसंबर, 2017 को इसका पहला मसौदा प्रकाशित हो गया है, उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2018 में इसकी पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी।

संविधान पीठ परखेगी आइपीसी की धारा 497 की वैधानिकता

विवाहेतर संबंध बनाने पर महिला को अपराधी मानने से छूट देने वाले कानून की वैधानिकता पर अब संविधान पीठ विचार करेगी। कोर्ट देखेगा कि **शादीशुदा महिला के पर-पुरुष से संबंध बनाने में सिर्फ पुरुष ही दोषी क्यों, महिला**

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 5 जनवरी 2018 को **विवाहिता को संरक्षण देने वाली आइपीसी की धारा 497 (व्याभिचार (एडल्टरी) और सीआरपीसी की धारा 198(2) की वैधानिकता** का मामला पांच न्यायाधीशों की संविधानपीठ को भेज दिया है।

क्या है

1. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर व न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने इस कानून की वैधानिकता पर पूर्व में आ चुके दो फैसलों का जिक्र करते हुए मामला विचार के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधानपीठ को भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कानून बहुत पुराना पड़ चुका है। समाज ने काफी प्रगति कर ली है।
2. खासतौर पर समाजिक प्रगति, बदल चुकी अवधारणा, लैंगिक समानता और लैंगिक संवेदनशीलता को देखते हुए पूर्व फैसलों पर पुनर्विचार की जरूरत है। इस सबके अलावा **संविधान के अनुच्छेद 15 में महिलाओं के लिए सकारात्मक अधिकार के पहलू पर** अलग ढंग से ध्यान देने की जरूरत है।
3. **अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, वर्ण और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है** लेकिन इसी अनुच्छेद का उपबंध 3 अपवाद प्रस्तुत करता है और **सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।**
4. सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व फैसलों में ए**क फैसला 1954 का यूसुफ अब्दुल अजीज मामले में आया था जिसमें चार जजों ने आइपीसी की धारा 497 को अनुच्छेद 15 (3) के आधार पर संवैधानिक ठहराते हुए कहा था** कि यह धारा अनुच्छेद 14 व 15 के तहत मिले बराबरी के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती।
5. **दूसरा फैसला 1985 का सौमित्र विष्णु मामले में आया था** और उसमें भी कोर्ट ने कानून की पारिवारिक परिपेक्ष्य में व्याख्या करते हुए कहा था कि यह कानून किसी से भेदभाव नहीं करता।

आइपीसी की धारा 497 (एडल्टरी)

1. कोई व्यक्ति **जानबूझकर दूसरे की पत्नी से उसके पति की सहमति के बगैर शारीरिक संबंध बनाता है और वह संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता,** तो वह व्यक्ति एडल्टरी का अपराध करता है।
2. उसे पांच वर्ष तक की कैद या जुर्माने की सजा हो सकता है।

सीआरपीसी की धारा 198 (2)

1. इस अपराध में सिर्फ पति ही शिकायत कर सकता है। पति की अनुपस्थिति में महिला की देखभाल करने वाला व्यक्ति कोर्ट की इजाजत से पति की ओर से शिकायत कर सकता है।

6. गत 8 दिसंबर को पिछले आदेश में भी कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ध**ारा 497 देखने से लगता है कि इसमें पत्नी को राहत दी गई है उसे पीड़िता माना गया है।** लेकिन यह दर्ज करना भी जरूरी है कि दो लोग मिल कर अपराध को अंजाम देते हैं, एक अपराध का भागी होता है और दूसरा पूरी तरह दोष मुक्त। ऐसा लगता है कि **यह कानून सामाजिक अवधारणा पर आधारित है।** सामान्य तौर पर आपराधिक कानून में लैंगिक भेदभाव नहीं होता लेकिन इसमें यह अवधारणा नदारद है।
7. कोर्ट ने यह भी कहा था कि **क्या किसी महिला को सकारात्मक अधिकार प्रदान करते समय इस हद तक जाया जा सकता है कि उसे पीड़िता मान लिया जाए।** कानून की भाषा देखी जाये तो अगर उसमें पति की सहमति साबित कर दी जाए तो अपराध खत्म हो जाता है। इस तरह तो यह प्रावधान वास्तव में महिला की व्यक्तिगत पहचान पर कुठाराघात करता है। पति की सहमति का मतलब है कि महिला पति के आधीन है जबकि संविधान उसे बराबरी का दर्जा देता है। कोर्ट ने कहा था कि अब समय आ गया है कि समाज यह अहसास करे कि महिला हर क्षेत्र में पुरुष के बराबर है।
8. **जोसेफ शाइनी की जनहित याचिका में आइपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198(2) को पुरुषों के साथ भेदभाव वाला बताते हुए चुनौती दी गई है।**

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017

लोकसभा द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को **केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000** में संशोधन करने के लिये लाया गया था, जिसके माध्यम से उच्च गति वाले पेट्रोल और डीजल पर लगाया गए उपकर को ग्रामीण सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, राज्य सड़कों और सीमा क्षेत्र सड़कों के विकास के लिये वितरित करने संबंधी प्रावधान किया गया है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

1. इस विधेयक के अंतर्गत उन सभी जलमार्गों को जिन्हें **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम (National Waterways Act), 2016** के तहत 'राष्ट्रीय जलमार्ग' के रूप में घोषित किया गया है, को परिभाषित किया गया है।
2. वर्तमान में इस अधिनियम के तहत **111 जलमार्गों को निर्दिष्ट किया गया हैं।**
3. 2000 अधिनियम के तहत, इस निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर-राज्य सड़कों और आर्थिक महत्त्व की सडकों सहित राज्यों की सड़कों और ग्रामीण सड़कों की परियोजनाओं के लिये किया जा सकता हैं

सेंट्रल रोड फंड क्या है

1. राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के विकास तथा रखरखाव हेतु निधि बनाने के लिये केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम (Central road fund act) 2000 के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक **केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना की गई है।**
2. इसके तहत फंड को जुटाने के लिये सेंट्रल रोड फंड एक्ट, 2000 के अंतर्गत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर, आबकारी और सीमा शुल्क के रूप में लेवी जमा करने का प्रस्ताव रखा गया था।
3. इस निधि का उपयोग मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज (overbridges/under bridges) का निर्माण करने तथा अन्य सुरक्षा सुविधाओं के लिये किये जाने का प्रावधान किया गया है।

भारतमाला सड़क परियोजना क्या है?

1. भारत में परिवहन परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है और देश के विकास में यह बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। इस काम में भारतमाला सड़क परियोजना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है।
2. यही कारण है कि इसके तहत 44 आर्थिक कॉरीडोरों की पहचान की गई है।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बाद **भारतमाला दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है।**
4. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में लगभग 50,000 किमी. सड़कों का विकास हुआ, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज भी शामिल है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत अभी और 10 हजार किमी. सड़कों का निर्माण पूरा होना है।
6. भारतमाला के तहत बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहाहै, जिसमें सीमा क्षेत्रों में सड़कों का नेटवर्क बिछाया जाना भी शामिल है।
7. इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों को सड़कों के साथ जोड़ने की योजना है।
8. आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
9. **भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का एक विशाल नेटवर्क है,** जिसकी कुल लंबाई लगभग 70,548 कि.मी. है। यह भारत के कुल सड़क संजाल का केवल 2% है तथा कुल यातायात का लगभग 40% वहन करता है।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

राज्यसभा ने रचा ये अनोखा इतिहास

राज्यसभा ने 2 जनवरी 2018 को उस समय रिकार्ड बनाया, **जब शून्यकाल में लोक महत्व के तहत और विशेष उल्लेख के जरिए उठाए जाने वाले स्वीकृत सभी विषय पूरे हुए।** सभापति एम. वेंकैया नायडू ने शून्यकाल पूरा होने पर इसका जिक्र किया और कहा कि, **'राज्यसभा ने आज एक छोटा-सा इतिहास रचा है।'**

क्या है

1. **पहली बार शून्यकाल और विशेष उल्लेख के जरिए उठाए जाने वाले स्वीकृत सभी विषय पूरे हुए हैं।** सदस्यों ने मेजें थपथपा कर इसका स्वागत किया। नायडू ने कहा कि, 'यह सदस्यों के सहयोग के कारण संभव हो सका है।' उन्होंने उम्मीद जताई कि, भविष्य में भी सदन में इस तरह से कामकाज होता रहेगा।
2. उन्होंने मंत्रियों से कहा कि, 'वे शून्यकाल और विशेष उल्लेख के जरिए उठाए जाने मुद्दों पर गौर करें तथा जल्दी से जल्दी संबंधित सदस्यों को इसका जवाब दें। 'उन्होंने कहा कि, इससे सदन की उत्पादकता में वृद्धि होगी'।
3. बाद में प्रश्नकाल में भी बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि, **मौखिक प्रश्नों के लिए सूचीबद्ध सभी प्रश्नों का नंबर आ गया।** ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों के नाम से मौखिक प्रश्न सूचीबद्ध था, उनमें से कई लोग आज सदन में मौजूद नहीं थे।
4. सभापति नायडू ने इस पर सदस्यों को सुझाव दिया कि, मौखिक प्रश्न काफी तैयारी के बाद बनाये जाते हैं। इसलिए जिन सदस्यों के सवाल हों, उन्हें सदन में प्रश्नकाल के दौरान उपस्थित रहना चाहिए।

आधार कार्ड ये नया फीचर

आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडएआई) ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए **सत्यापन का नया विकल्प मुहैया कराने का फैसला किया है।** यूआईडएआई ने आधार सत्यापन के लिये उंगुली के निशान तथा आंख की पुतलियों के **अतिरिक्त चेहरे की पहचान को भी शामिल करने की अनुमति दे दी है। यह नया फीचर 1 जुलाई से शुरू होगा।**

क्या है

1. **प्राधिकरण का ये ऐलान सुप्रीम कोर्ट में आधार पर सुनवायी के ठीक 24 घंटे पहले आया है।** कोर्ट में मंगलवार को इस बात पर जिरह होगी कि आधार आखिरकार क्यों अनिवार्य हो।
2. इस मामले में कई जनहित याचिकाएं यानी पीआईएल दायर किए गए हैं। अब इन तमाम याचिकाओं को मिलाकर एक कर दिया गया है और मंगलवार के बाद इस पर नियमित सुनवायी शुरू होगी।
3. **अब तक 12 अंकों वाला आधार नंबर 117 करोड़ लोगों को जारी किया जा चुका है।** हालांकि आधार का इस्तेमाल पहचान साबित करने के लिए होता है, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता।
4. आधार के आधार पर लोगों को रसोई गैस पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं में सरकारी मदद दी जाती है। सरकार दावा है कि आधार का इस्तेमाल कर शुरू की गयी प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना यानी डीबीटी में अब तक करीब 50 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है।
5. अभी स्थिति यह है कि यूआईडीएआई ने फिंगर प्रिंट और आइरिस को पहचान के लिए मान्यता दे रखी है। आधार में रजिस्ट्रेशन के वक्त फोटो लिया जाता है। अब यूआईडीएआई इस फोटो का इस्तेमाल पहचान के लिए करना चाहता है। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि फिंगर प्रिंट या आइरिस में दिक्कत होने पर चेहरे के जरिए पहचान हो सके।

अन्तरर्राष्ट्रीय

वैट लगाने वाले पहले खाड़ी देश

खाड़ी देशों में नए साल की शुरुआत एक नई व्यवस्था से हुई। **लंबे समय तक कर-मुक्त कहे जाने वाली खाड़ी देशों में मूल्यवर्द्धित कर (वैट) व्यवस्था शुरू की गई है** और इसे लागू करने वालों में **सऊदी अरब और संयुक्त अरब**

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

अमीरात सबसे पहले देश बन गए हैं। चार और खाड़ी देश **बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर** भी वैट लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन वह इस पर अगले साल तक निर्णय लेंगे।

क्या है

1. **अधिकतर सामान और सेवाओं पर पांच प्रतिशत बिक्री कर लगाया गया है** और आकलन कर्ताओं का कहना है कि **2018 में इससे दोनों सरकारें 21 अरब डॉलर तक जुटा सकती हैं** जो सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत के बराबर बैठेगा।
2. **यह देशों अमीर देशों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है।** दुबई ने एक लंबे वार्षिक शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया है जिसका मकसद दुनियाभर से लोगों का अपने खुदरा बिक्री स्थानों या मॉलों में आमंत्रित करना है। सऊदी अरब ने भी विशेष खातों में अरबों डॉलर जमा कराएं हैं ताकि खुदरा कीमतों से बढ़ने वाली कीमतों से प्रभावित जरुरी नागरिकों की मदद की जा सके।
3. **सऊदी अरब ने नए साल के मौके पर वैट के अलावा पेट्रोल कीमतों में 127% तक की वृद्धि करके ग्राहकों को एक और झटका दिया है।** हालांकि इस वृद्धि की घोषणा पहले से नहीं की गई थी।
4. पेट्रोल की कीमतों में सऊदी अरब में यह दो साल में दूसरी वृद्धि है। हालांकि यह अब भी दुनिया में सबसे सस्ते पेट्रोल वाले देशों में से एक है।
5. **खाड़ी के तेल उत्पादक देशों ने पिछले दो साल में अपनी आय बढ़ाने और खर्च में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।** इनमें व्यय को कम करना और कर लगाना शामिल है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटती कीमतों ने इन देशों के बजट को नकारात्मक तौर पर प्रभावित किया है।

सार्क समूह की पहल से पाकिस्तान बाहर

भारत ने पाकिस्तान को सार्क सदस्य देशों की **उस सूची से बाहर कर दिया है,** जिन्हें भारत अपनी अत्याधुनिक **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क** (National Knowledge Network-NKN) परियोजना से जोड़ना चाहता है। सीमा-पार आतंकवादी हमलों के कारण भारत द्वारा लम्बे समय से **आधिकारिक वार्ता को निलंबित किया जाता रहा।** इससे स्पष्ट है कि भारत-पाक संबंधों में तनाव का विस्तार अब अनुसंधानात्मक गतिविधियों तक भी हो गया है। भारत सरकार ने एक दूरसंचार कंपनी की नियुक्ति की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है जिसे NKN **को छह सार्क देशों-अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के शोध और शिक्षा नेटवर्क तक विस्तार करने के लिये नियुक्त किया जाना था।** पाकिस्तान ही एकमात्र सार्क राष्ट्र है जिसे इस पहल से बाहर रखा गया है।

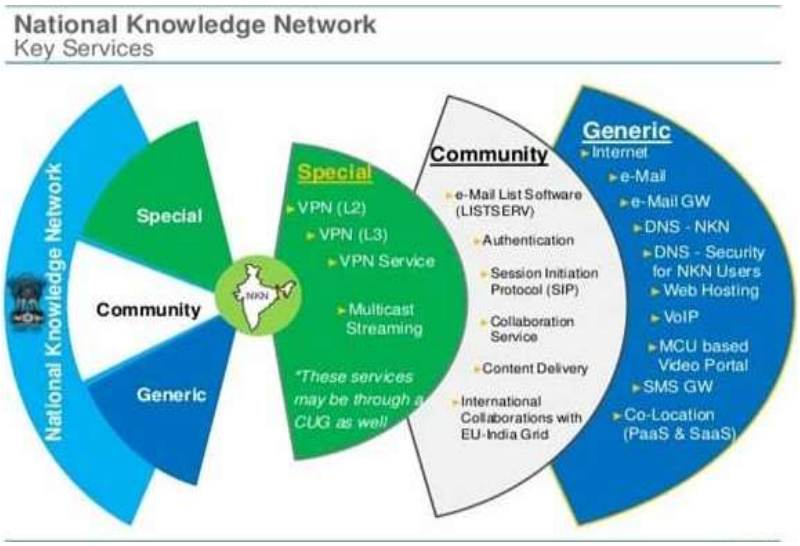

क्या है

1. **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network)** एक अखिल भारतीय मल्टी-गीगाबिट नेटवर्क है जो भारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा अगली पीढ़ी की एप्लीकेशन्स और सेवाओं के निर्माण में सहायता देता है।
2. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** (National Informatics Centre&NIC) इसे लागू करने वाली एजेंसी है।
3. 2010 में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के साथ ही इसे 10 साल की अवधि के लिये शुरू किया गया था।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

4. वर्तमान में इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ही क्रियान्वित किया जा रहा है।
5. परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान में अग्रणी मिशन उन्मुख एजेंसियां भी NKN का हिस्सा हैं।

NKN को अब निम्नलिखित तरीकों से जोड़ा जाएगा-

1. अफगानिस्तान से दिल्ली या मुंबई
2. बांग्लादेश से कोलकाता या दिल्ली
3. भूटान से कोलकाता या दिल्ली
4. नेपाल से कोलकाता या दिल्ली
5. मालदीव से चेन्नई या मुंबई
6. श्रीलंका से चेन्नई या मुंबई

सार्क क्या है

1. सार्क दक्षिण **एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है।**
2. इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। 2007 से पहले सार्क के सात सदस्य थे, **अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया था।**
3. सार्क की स्थापना **8 दिसंबर, 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू (नेपाल) में है।**
4. सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में दिसंबर 1985 में हुआ था।
5. **प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है।**
6. संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिये देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है।

भारत का पाक को न्यू ईयर गिफ्ट

पाकिस्तान के 12 वर्षीय एक लड़के को स्वदेश भेज दिया गया जो सात महीने पहले भारतीय सीमा में आ गया था। यह जानकारी नयी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त और एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने दी। **हसनैन को पंजाब के फरीदकोट जिले में एक निगरानी गृह में रखा गया था।** वह मई 2017 में अनजाने में सीमा के भारतीय क्षेत्र में आ गया था।

क्या है

1. **उसके पास से पाकिस्तानी 20 रूपये का नोट मिला था।** उसे अटारी-वाघा सीमा से स्वदेश भेजा गया। पाकिस्तानी उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि लड़के को उसके अधिकारियों की मौजूदगी में सौंपा गया। फरीदकोट के उपायुक्त राजीव पाराशर ने बताया कि लड़के को सीमा पर स्थित संयुक्त जांच चौकी पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा गया।
2. पाकिस्तानी उच्चायोग ने बताया कि उसे **21 नवम्बर को हसनैन तक राजनयिक पहुंच मिली।** बयान में कहा गया कि राजनयिक पहुंच के दौरान लड़के ने संकेत भाषा में बताया कि वह पाकिस्तान से है।
3. उसने पाकिस्तानी मुद्रा और कायदे आजम की तस्वीर तुरंत पहचान ली। उसने अपने घर पर पाकिस्तानी झंडा भी बनाया। वह उर्दू में कुछ शब्द लिख पाया। पाराशर ने बताया कि हाल में एक सक्षम अदालत ने उसे उसके देश भेजने का आदेश जारी किया था।

चीन का नया 'ड्राय-पोर्ट'

कजाखस्तान की पूर्वी सीमा पर **स्थित खोर्गोस (ज़ीवतहवे) में चीन ने निवेश के माध्यम से एक ड्राय-पोर्ट में हिस्सेदारी हासिल की है।** यहाँ चीन की शिपिंग कंपनी **'कॉस्को' मालवाहक ट्रेनों पर कंटेनर लादने का काम कर रही है।** भविष्य में इस जगह के ट्रांसपोर्ट-हब के रूप में विकसित होने की संभावना है, जो **वन बेल्ट-वन रोड का महत्त्वपूर्ण हिस्सा** बनकर चीन के सामान की पहुँच सुदूर यूरोप तक संभव बना देगा।

क्या है

1. विश्व के कई समुद्री बंदरगाहों में निवेश करने के बाद **चीन द्वारा एक भू-आबद्ध (Landlocked) देश कजाखस्तान** में एक ड्राय-पोर्ट के विकास में बड़ा निवेश करना नई बात है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

2. **खोर्गोस का उत्तरी क्षेत्र शीत युद्ध के दौरान चीन और सोवियत संघ की सेनाओं के बीच** तनाव वाला क्षेत्र रहा है।
3. खोर्गोस से निकटतम समुद्री तट **लगभग 2500 किमी. दूर है।**
4. कजाखस्तान का यह क्षेत्र अनुर्वर और निर्जन है। यहाँ कार्यरत कंपनियों के कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसरों आदि के निर्माण से धीरे-धीरे इस क्षेत्र का विकास हो रहा है।
5. **सामान्य तौर पर समुद्री मार्ग द्वारा चीन से यूरोप सामान पहुँचाने में 40-50 दिन लगते हैं,** लेकिन इस नए ट्रांसपोर्ट हब से रेलमार्ग द्वारा यह समय घटकर लगभग आधा हो जाएगा।

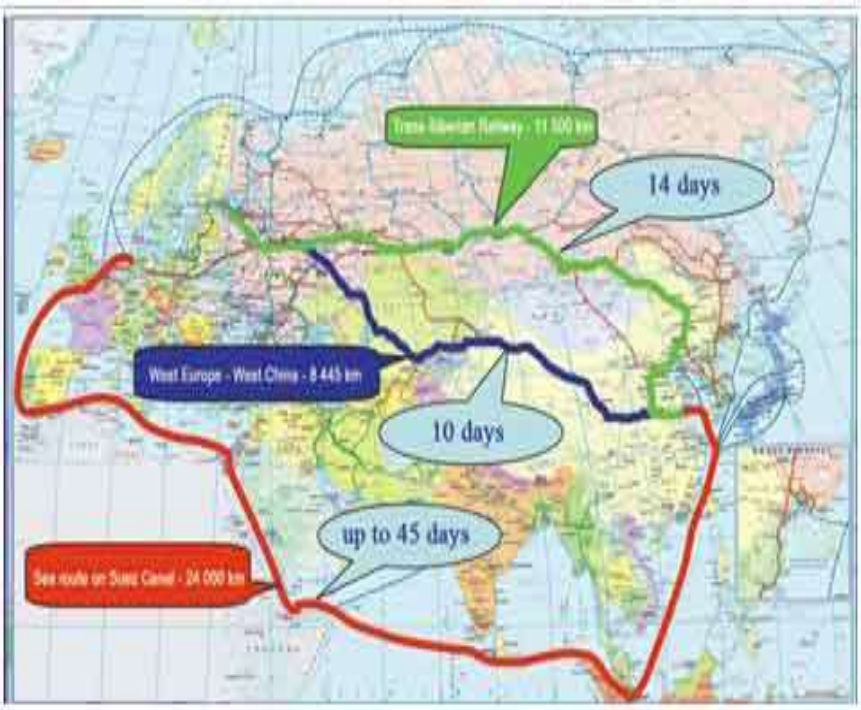

6. चीन आयात से अधिक निर्यात करता है। सामान से लदी ट्रेनें चीन से पश्चिम की ओर यूरोप जाएँगी, जबकि लौटते समय इनमें चीन द्वारा यूरोप से आयातित सामान बहुत कम होगा। इस प्रकार इन ट्रेनों की वास्तविक संचालन लागत का औचित्य प्रश्नगत हो जाता है।

चाबहार बंदरगाह के पास चीन बनाएगा अपना सैन्य ठिकाना

नए साल के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान को कड़ी फटकार और उसके बाद सैन्य सहायता राशि बंद करने के कदम ने **बीजिंग और इस्लामाबाद** को और करीब ला सकता है। क्रवार को मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही अपने आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। इसके साथ ही, **चीन इरान में चाबहार बंदरगाह के नजदीक स्थित पाकिस्तान के एक सैन्य ठिकाने को अधिग्रहण करने जा रहा है।**

क्या है

1. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्रंप ने एक जनवरी को ट्वीटर के जरिए पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए उसके ऊपर आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगाया था। ट्रंप के इस कदम से पाकिस्तान और चीन के पहले से ही घनिष्ठ संबंधों को और बढ़ाने में मदद मिलेगी।
2. इसमें इस्लामाबाद के उस फैसले के बारे में बताया गया है जिसमें उसने द्विपक्षीय व्यापार और वित्तीय लेन-देन के लिए चीनी मुद्रा की इजाजत दी है। जबकि, दूसरी तरफ चीन पहले ही चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में **करीब 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका है।**
3. वाशिंगटन टाइम्स की उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि चीन अपने समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विदेश में दूसरा सैन्य ठिकाना बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे है।
4. ये सैन्य ठिकाना जिवानी में बनाया जा सकता है जहां सीमा से लगते ओमन की खाड़ी में इरान का चाबहार बंदरगाह है। जो ब्लूचिस्तान प्रांत के ग्वादर से बेहद करीब है। चाबहार बंदरगाह को इरान भारत और अफगानिस्तान तीन के संयुक्त रूप से इसे विकसित जा रहा है ताकि भारत को अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट के लिए व्यापारिक रास्ता सुनिश्चित करेगा।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

वैश्विक स्तर पर बढ़ा भारत का कद

इसे आप वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख का असर कहिए या फिर कच्चे तेल की कीमतों में हाल के वर्षो में नरमी का असर। हो सकता है कि उक्त दोनो कारण ही वजह हो। जो भी हो लेकिन हकीकत यह है कि **कुछ वर्ष पहले तक तेल व गैस ब्लाक खरीदने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से मनुहार करने वाले भारत के पीछे अब तमाम देश पड़े हुए हैं** कि वह उनके हाइड्रोकार्बन ब्लाक खरीद ले। **कतर, कुवैत, इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के अलावा म्यांमार, विएतनाम, लीबिया, मोजाम्बिक** जैसे कई छोटे लेकिन बड़े हाइड्रोकार्बन भंडार रखने वाले देश भारत सरकार को मनाने में जुटी हैं।

क्या है

1. **देश की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी ओएनजीसी के उच्चपदस्थ** अधिकारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल व गैस ब्लाकों में निवेश करने के हालात काफी बदल गये हैं। अगर भारत चाहे तो बहुत जल्द **कतर, कुवैत समेत चार-पांच देशों में तेल ब्लाकों को खरीदने का फैसला कर सकता है** क्योंकि इन देशों की सरकारें पूरी तरह से तैयार है।
2. अब वे दिन नहीं रहे जब इन देशों में तेल व गैस ब्लाक खरीदने के लिए चीन व भारतीय कंपनियों के बीच होड़ लगी रहती थी। अब ये देश चाहते हैं कि हम उनके यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश करे। लेकिन हमें देश में हाइड्रोकार्बन की मांग, कुल ऊर्जा में हाइड्रोकार्बन की हिस्सेदारी, पर्यावरण समेत कुछ अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला करना होगा।
3. **केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक आयातित तेल में 20 फीसद की कमी करने का भी लक्ष्य रखा है।** देश में रिनीवल इनर्जी को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है और इस क्षेत्र में नई तकनीकी से काफी बदलाव आने की उम्मीद है।
4. इसी तरह से वर्ष 2030 से सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों को बेचने का लक्ष्य रखने की बात हो रही है। हमें इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों में हाइड्रोकार्बन ब्लाक खरीदने का फैसला करना होगा।
5. वर्ष 2016 में अपेक्षाकृत सुस्त आर्थिक विकास दर के बावजूद क्रूड की मांग 8 फीसद से ज्यादा रही जबकि वैश्विक स्तर पर यह दो फीसद से कम थी। दूसरी तरफ जापान और चीन जैसे बड़े तेल आयातक देशों में भी मांग कम होने लगी है।
6. भारत में अभी मांग तेज ही बने रहने के आसार हैं। ऐसे में तेल उत्पादक देशों को मालूम हो कि भारत उनके तेल ब्लाकों के लिए सबसे उपयोगी उम्मीदवार है। यही वजह है कि दूसरे देश अब भारत पर इस बात के लिए डोरे डाल रही हैं।
7. खाड़ी के कुछ देश तो भारत के अनाज के बदले अब तेल ब्लाक देने का प्रस्ताव दे रहे हैं। तेल के मामले में धनी खाड़ी के देशों के लिए खाद्यान्न बड़ी समस्या है। इसलिए वे चाहते हैं कि भारत उनकी खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखे तो वह भारत की ऊर्जा सुरक्षा का ध्यान रखेंगी।

इजरायली के साथ 9 समझौतों पर मुहर

भारत और इजरायल के बीच साइबर सुरक्षा, साइंस-टेक्नोलॉजी, फिल्म, गैस, पैट्रोलियम, होम्योपथी और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन समेत कुल **9 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।** करार के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि हम **साइबर सुरक्षा, फिल्म, ऑयल जैसे क्षेत्रों में भी इजरायल के साथ मिलकर काम करेंगे।** दोनों देशों के लोगों को करीब लाने के लिए इजरायल में एक इंडियन कल्चरल सेंटर जल्द खुलेगा।

क्या है

1. **दिल्ली के हैदराबाद हाऊस में आयोजित द्विपक्षीय बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस** में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल और भारत दोनों का ही इतिहास हजारों साल पुराना है।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

2. हम अपने रिश्ते में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। भारत और इजरायल दोनों ही देश आंतकी हमलों के दर्द को जानते हैं। हमें याद है मुंबई आतंकी हमला याद है।
3. राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत और विदेश राज्य मंत्री भी मौजूद रहे।
4. इससे पहले नेतन्याहू ने दौरे के पहले दिन दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। साथ ही एयरपोर्ट उतरने के बाद वो सबसे पहले तीन मूर्ति चौक गए थे और हाइफा युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। **इस चौक का नाम बदलकर अब तीन मूर्ति हाइफा चौक किया गया है।**

अर्थशास्त्र

ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के वैश्विक विनिर्माण इंडेक्स में भारत को 30वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में भारत चीन से पीछे है। चीन पांचवें स्थान पर है। हालांकि, ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में भारत की रैंकिंग बेहतर है। **डब्ल्यूईएफ की भविष्य के उत्पादन की तैयारियों पर रिपोर्ट में जापान अव्वल रहा है।** जापान में उत्पादन का ढांचा सबसे बेहतर आंका गया है। सूची में जापान के बाद दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, अमेरिका, स्वीडन, आस्ट्रिया और आयरलैंड शीर्ष दस स्थान पर हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों में इस सूचकांक में **रूस 35वें, ब्राजील 41वें और दक्षिण अफ्रीका 45वें स्थान पर रहा है।**

क्या है

1. **रिपोर्ट में आधुनिक औद्योगिक रणनीतियों के विकास का विश्लेषण किया गया है और इसमें सामूहिक कार्रवाई पर जोर दिया गया है। इसमें 100 देशों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है।**
2. ये समूह हैं- **अग्रणी (मजबूत मौजूदा आधार, भविष्य के लिए उच्चस्तर की तैयारियां),** बेहतर संभावना (सीमित मौजूदा आधार, भविष्य के लिये बेहतर संभावना), विरासती (मजबूत मौजूदा आधार, भविष्य में जोखिम) और उदीयमान (सीमित मौजूदा आधार, भविष्य की तैयारियां भी निचले स्तर पर)।
3. भारत को इस सूची में **हंगरी, मेक्सिको, फिलिपींस, रूस, थाइलैंड तथा तुर्की सहित अन्य देशों के साथ विरासत वाले वर्ग में रखा गया है।** चीन अग्रणी देशों में शामिल है। जबकि ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शुरुआती स्तर वाले वर्ग में हैं।
4. डब्ल्यूईएफ की यह रिपोर्ट उसकी इसी महीने दावोस, स्विट्जरलैंड में होने वाली

विश्व आर्थिक मंच

1. विश्व आर्थिक मंच एक **स्विस गैर-लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।**
2. **इसकी स्थापना 1971 में हुई थी।** इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।
3. फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिये राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है जिसका स्वयं का कोई हित नहीं है।
4. यह फोरम स्विट्जरलैंड के **पूर्वी आल्पस क्षेत्र में दावोस में जनवरी के अंत में वार्षिक बैठक के आयोजन के लिये प्रसिद्ध है।** इस वर्ष 22-26 जनवरी को आयोजित की जाने वाली बैठक विश्व आर्थिक मंच की 48वीं सालाना बैठक होगी।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट्स

1. Global Gender Gap Report
2. Global Competitiveness Report
3. Global Human Capital Report
4. Travel and Tourism Competitiveness Report
5. Global Risks Report
6. Inclusive Growth and Development Report

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

वार्षिक बैठक से पहले आई है। डब्ल्यूईएफ ने कहा है कि, इस सूची में शीर्ष 25 देशों को उत्पादन प्रणाली में होने वाले बदलावों का सबसे अधिक लाभ होगा।

5. भारत के बारे में डब्ल्यूईएफ ने कहा है कि, **यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है** और भारत में विनिर्मित उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है।
6. डब्ल्यूईएफ ने कहा कि पिछले तीन दशकों में भारत का विनिर्माण क्षेत्र सालाना आधार पर औसतन सात प्रतिशत बढ़ा है। विनिर्माण क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 16 से 20 प्रतिशत योगदान है।

बैंक्रप्सी बिल में संशोधन को संसद ने दी मंजूरी

इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी संशोधन विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिलने के साथ ही इसे संसद से पारित भी कर दिया गया है। लोकसभा ने इसे पिछले हफ्ते ही हरी झंडी दिखा दी थी। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस विधेयक पर कहा कि **इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के क्षेत्र में हाल के वर्षों में ही काम हुआ है।** अभी तक यह क्षेत्र हम सभी के लिए नया है। अभी हम काफी कुछ सीख रहे हैं। राज्यसभा ने इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दी है। पहले पारित इस कानून के आधार पर बने **इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के प्रावधानों का फायदा उठाकर दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी कंपनी के प्रमोटर ही उसे खरीदने की कोशिश कर रहे थे।** बिना कर्ज चुकाए कंपनी वापस खरीदने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सरकार ने नवंबर में कुछ नियमों के साथ अध्यादेश जारी किया था।

क्या है

1. **इस अध्यादेश के स्थान पर ही संशोधन विधेयक पेश किया गया। न**ए प्रावधानों के अनुसार एनपीए में फंसी कंपनी की नीलामी प्रक्रिया में उसके प्रमोटर तभी हिस्सा ले पाएंगे जब वे बैंकों का बकाया पूरा कर्ज और ब्याज चुका दें।
2. हालांकि कई विपक्षी दलों के सांसदों ने यह चिंता भी व्यक्त की कि नए नियमों ने स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए प्रतिस्पर्धा को कम कर दिया है जिसके परिणाम स्वरुप लेनदारों से कम वसूली हो पाई है।

विदेशी निवेश को मंजूरी

सरकार ने विमानन कंपनी, रिटेल कारोबार और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में बड़ी ढील दी है। इस मंजूरी के बाद **अब सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसद एफडीआई आ सकेगी।** केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण सेवा गतिविधियों में **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है।** इसके लिये सरकारी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने **सरकारी मंजूरी के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एयर इंडिया में विदेशी एयरलाइंस को 49 प्रतिशत** तक हिस्सेदारी खरीदने के प्रावधान वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एयरइंडिया की बड़ी हिस्सेदारी भारतीय नागरिक के हाथों में बनी रहेगी।

क्या है

1. एयरलाइंस में विदेशी निवेश संबंधी अब तक की **नीति के अनुसार अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों** की चुकता पूंजी में विदेशी विमानन कंपनी 49% तक हिस्सेदारी ले सकती हैं। लेकिन यह प्रावधान एयर इंडिया पर लागू नहीं था।
2. **एविएशन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े एफडीआई नियमों में भी ढील देकर सरकार देश में कारोबार करने के नियमों को और आसान बनाना चाहती है।** व्यापक स्तर पर एफडीआई प्रवाह, निवेश प्रोत्साहन, आय एवं रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में यह सरकार का अहम कदम माना जा रहा है।
3. इसके अलावा **विदेशी संस्थागत निवेशकों को बिजली क्षेत्र में प्राइमरी मार्केट के जरिए भी एफडीआई की अनुमति दी गयी है** और चिकित्सा उपकरणों की परिभाषा में संशोधन किया गया है।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

4. सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, "अब यह तय किया गया है कि इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाये और विदेशी विमानन कंपनियों को मंजूरी लेकर एयर इंडिया में 49% तक हिस्सेदारी में निवेश की अनुमति दी जाये।
5. नियमों में दी गई इस रियायत के साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। वक्तव्य में कहा गया है कि एयर इंडिया में होने वाला विदेशी निवेश विदेशी विमानन कंपनी सहित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 49% से अधिक नहीं होगा और कंपनी का मालिकाना बड़ा हिस्सा तथा उसका प्रभावी नियंत्रण किसी भारतीय नागिरक के हाथ में ही होगा।
6. सरकार का मानना है कि **इस फैसले से कारोबार सुगमता बढ़ेगी तथा देश में एफडीआई प्रवाह बढ़ेगा।** इससे निवेश बढ़ने के साथ-साथ आय और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसमें आगे स्पष्ट किया गया है कि रीयल एस्टेट ब्रोकिंग सेवाओं को रीयल एस्टेट व्यवसाय नहीं माना जाना चाहिये, इसलिये इस तरह की सेवायें स्वत: मंजूरी मार्ग से 100% एफडीआई के योग्य हैं।
7. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को प्राथमिक पूंजी बाजार के जरिये ऊर्जा एक्सचेंज में निवेश की भी अनुमति दे दी। अब तक **केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (पावर मार्किट) नियमन 2010 के तहत पंजीकृत 'पावर एक्सचेंज में स्वत: मंजूरी मार्ग से 49% एफडीआई की अनुमति थी।** लेकिन इसमें एफआईआई और एफपीआई की खरीदारी केवल द्वितीयक बाजारों तक ही सीमित थी।

पेमेंट बैंक बन जाएंगी डाकघर

देश में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक (आइपीपीबी) की सभी 650 शाखाएं अप्रैल, 2018 तक लॉन्च हो जाएंगी। लोकसभा में लिखित उत्तर में दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने यह जानकारी दी। **17 अगस्त, 2016 को कंपनी कानून, 2013 के तहत आइपीपीबी का गठन हुआ था। रिजर्व बैंक ने 20 जनवरी, 2017 को इसे पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया था।** इसके बाद **छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और झारखंड की राजधानी रांची में आइपीपीबी की दो शाखाएं 30 जनवरी, 2017 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थीं।** तब से देश में इसकी कोई शाखा नहीं खोली गई है। हालांकि सरकार को उम्मीद है चालू वित्त वर्ष के अंत तक सभी शाखाएं लॉन्च हो जाएंगी।

क्या है

1. **पेमेंट बैंक प्रत्येक खाताधारक से एक लाख रुपये तक की जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं।** कोई भी व्यक्ति या व्यावसायिक प्रतिष्ठान इसमें खाता खुलवा सकता है।
2. **पेमेंट बैंकों का संचालन सामान्य बैंकों के मुकाबले थोड़ा अलग ढंग से होता है।** ये केवल जमा तथा विदेशों से भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें इंटरनेट बैंकिंग तथा कुछ अन्य विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने का अधिकार होता है।
3. **इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 25 हजार रुपये तक की जमा पर 4.5 फीसद की दर से ब्याज अदा करता है।** जबकि 25 हजार से 50 हजार रुपये की राशि पर ब्याज दर 5 फीसद और 50 हजार से एक लाख रुपये की जमा पर 5.5 फीसद है।
4. **ये सभी शाखाएं ग्रामीण डाकघरों से जुड़ी होंगी। यह देश में सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होगा।** इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं **रायपुर तथा रांची में चालू भी हो चुकी हैं।**
5. देश में डेढ़ लाख से अधिक डाक घर हैं। इन सभी में पेमेंट बैंक शाखा के रूप में कार्य शुरू होने की संभावना है। अभी तक निजी क्षेत्र में एयरटेल ने अपना पेमेंट बैंक लांच हो किया है जो पिछले साल जनवरी में शुरू हुआ था। ढाई लाख दुकानदार उसके नेटवर्क में जुड़कर सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा चीन की इंटरनेट फर्म अलीबाबा के नियंत्रण वाले पेटीएम ने भी इसी साल पेमेंट बैंक का काम शुरू किया है।
6. **क्या होते है पेमेंट बैंक:** ये छोटे प्रकार के बैंक होते हैं, जो मुख्य रूप से मोबाइल फोन के माध्यम से ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाते हैं, इसमें सुविधाओं का लाभ लेने के लिए परंपरागत रुप से बैंक ब्रांच तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती है।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

कर मुक्त होगी 20 लाख तक की ग्रेच्युटी

देश में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। आगामी बजट सत्र में ग्रेच्युटी को लेकर **संशोधन विधेयक पारित होने की उम्मीद है।** इसके पारित होने से **20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स छूट के दायरे में आ जाएगी।** अभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। सातवें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये कर दी गई थी।

क्या है

1. **बजट सत्र में ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया जाएगा।** इसे शीतकालीन सत्र में संसद के समक्ष रखा गया था। आगामी सत्र में इसके पारित होने की उम्मीद है।
2. सरकार संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी सरकारी कर्मचारियों की ही तरह टैक्स छूट के दायरे में आने वाली **ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख रुपये करना चाहती है।**
3. संसद से विधेयक पास होने के बाद सरकार को छूट के दायरे में आने वाली ग्रेच्युटी की सीमा को दोबारा तय करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। फिलहाल संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को पांच साल या उससे ज्यादा की सर्विस पर 10 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट मिलती है।
4. **यह विधेयक पारित होने के बाद, सरकार को केंद्रीय कानून के तहत मातृत्व अवकाश की अवधि और ग्रैच्युटी को नोटिफाई करने की अनुमति मिल सकेगी।**
5. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 18 दिसंबर, 2017 को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था। मौजूदा पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट, 1972 को फैक्टियों, खदानों, तेल क्षेत्रों, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों आदि संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के ग्रेच्युटी भुगतान के लिए लागू किया गया था।
6. श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार बजट सत्र में वेज कोड (वेतन संहिता) विधेयक ला सकती है। यह सरकार की ओर से लाया जाने वाला पहला लेबर कोड होगा।
7. इसके पारित होने के बाद सरकार विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन तय कर सकेगी। श्रम मंत्रालय 44 से ज्यादा श्रम कानूनों को समाहित करते हुए वेतन, औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा और पेशेवर सुरक्षा की श्रेणी में चार संहिताएं लाने की तैयारी में है। वेज कोड इस दिशा में पहला कदम है।
8. **इस संबंध में मसौदा विधेयक अगस्त, 2017 में लोकसभा में रखा गया था।** वहां से इसे सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के पास भेज दिया गया था। इस संहिता में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट, 1949, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, 1965 और इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट, 1976 को समाहित किया गया है।

विज्ञान एवं तकनीकी

भारत में बना Typhoid का टीका

हानिकारक बैक्टीरिया से होने वाली दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक Typhoid से बचने के लिए अब किफायती दामों में टीका यानि वैक्सीन आने वाली है। इस टीके को **विश्व स्वास्थ्य संस्थान (WHO) से दुनिया भर में इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है।** खास बात ये है कि **इस वैक्सीन को एक भारतीय कंपनी ने ही तैयार किया है। डब्लूएचओ ने 'Tybar TCV' नाम की दवाई को टाइफाइड के नए टीके के रूप में मंजूरी दे दी,** जिसके बाद अब ये जल्द ही दुनियाभर में उपलब्ध होगी। इस टीके के कारण अब लाखों लोगों को टाइफाइड होने से बचाया जा सकेगा, खासकर छोटे बच्चों को। **टाइफाइड का बुखार 'Salmonella typhi' नाम के बैक्टीरिया से होता है जो गंदे पानी और नालियों में पाया जाता है।** ये घातक बीमारी हर साल 2 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में लेती है और इसके कारण हर वर्ष 1,60,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।

क्या है

1. **टाइबार टीसीवी टीके का निर्माण हैदराबाद में स्थित Bharat Biotech कंपनी ने किया है।** कंपनी ने 2005 में यह टीका बनाया था और भारत में इसे सफलता पूर्वक टेस्ट भी किया था।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

2. विश्व स्वास्थ्य संस्थान ने इसे लंबे वक्त बाद अब जाकर मंजूरी दी है। इसके अलावा **भारत बायोटेक, पोलियो के लिए भी टीका बना चुकी है जिसे WHO ने मंजूर किया था** और साथ ही ये इबोला, चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए भी वैक्सीन तैयार कर रही है।
3. इस टीके को डोनर और यूएन जैसी संस्थान अब खरीद सकती हैं। फिलहाल यह एक टीका 1.50 डॉलर यानि करीब 95 रुपये का है। लेकिन कंपनी ने कहा है कि अगर 10 करोड़ लोगों के लिए ये इकट्ठा खरीदा जाए तो इसकी कीमत एक डॉलर से भी कम हो जाएगी।
4. वैज्ञानिकों का मनना है कि इस टीके से 87 प्रतिशत तक टाइपाइड होने की संभावना को रोका जा सकता है।

वायरस से होगा ब्रेन ट्यूमर का इलाज

घातक किस्म के ब्रेन ट्यूमर के इलाज की दिशा में उम्मीद की नई किरण दिखी है। वैज्ञानिकों ने परीक्षण में पाया कि **रक्त के जरिये मस्तिष्क में ट्यूमर तक एक वायरस को पहुंचाया जा सकता है।** यह वायरस ट्यूमर से मुकाबले के लिए **शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र (इम्यून सिस्टम)** को सक्रिय कर सकता है।

क्या है

1. शोधकर्ताओं का मानना है कि **स्वाभाविक रूप से बनने वाले 'रियोवायरस' से ब्रेन ट्यूमर पीड़ितों के लिए प्रभावी इम्यूनोथेरेपी का विकास किया जा सकता है।**
2. ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड पैथोलॉजी के शोधकर्ता एडेन सैमसन ने कहा, पहली बार एक चिकित्सकीय वायरस को रक्त के जरिये मस्तिष्क में पहुंचाया गया।
3. यह वायरस कैंसर पर हमला करने के लिए शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर सकता है। यह अध्ययन हालांकि नौ लोगों पर किया गया, लेकिन इसके नतीजे उत्साहजनक थे।

'प्लांट टैटू सेंसर'

वैज्ञानिकों ने एक छोटे ग्रेफेन सेंसर को विकसित किया है, जिसे पौधों में लपेटा जा सकता है। **यह पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक पानी पहुंचने में लगे समय की गणना कर सकता है।** अमेरिका की आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के वनस्पति वैज्ञानिकों में से एक पैट्रिक स्नेबल ने बताया, **'इस प्रकार के उपकरणों से हम ऐसे पौधों की नस्ल विकसित कर सकते हैं**, जो पानी का उपयोग करने में अधिक कुशल हों।'

क्या है

1. इस उपकरण को 'प्लांट टैटू सेंसर' का नाम दिया गया है। एडवांस मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी जर्नल में इस उपकरण के बारे में विस्तार से बताया गया है।
2. **इस उपकरण के सेंसर को ग्रेफेन ऑक्साइड से बनाया गया है,** जो एक ऐसा तत्व है **जो जल के वाष्प बनने के प्रति काफी संवेदनशील होता है।** बाजार में उतारने के लिए प्लांट सेंसर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है।
3. इन सेंसरों को बनाने के लिए आपको मात्र टेप का उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि पौधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की अवधारणा बिल्कुल नई है।
4. प्लांट सेंसर इतने छोटे होते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन को जान जाते हैं और इनसे पौधे की वृद्धि और प्रजनन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

150 साल में पहली बार दिखेगा 'नीला चांद'

इस महीने की 31 तारीख को दुर्लभ पूर्ण चंद्रग्रहण होगा जिसमें **महीने में दूसरी बार पूर्णिमा होगी। 'ब्ल्यू मून' अर्थात 'नीला चांद' कहलाने वाला यह नजारा 150 साल से ज्यादा समय बाद दिखाई देगा।** यह 2018 का पहला ग्रहण होगा। भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप में चांद के उदय के दौरान पहले से ही ग्रहण लगा रहेगा।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

क्या है

1. **उस समय प्रशांत महासागर चंद्रमा की सीध में होगा और ग्रहण मध्यरात्रि में होगा।** मध्य एवं पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर हिस्से में शाम को आसमान में चंद्र ग्रहण का नजारा साफ-साफ दिखेगा।
2. अमेरिका के अलास्का और हवाई एवं कनाडा के उत्तरपश्चिमी हिस्से में ग्रहण शुरू से अंत तक दिखेगा। पूर्ण चंद्रग्रहण 77 मिनट तक रहेगा।
3. **इस दौरान चंद्रमा का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से की तुलना में ज्यादा चमकीला दिखेगा।** इस साल के बाद अगली बार नीला चांद 31 दिसंबर, 2028 को फिर 31 जनवरी, 2037 को दिखेगा। दोनों ही बार पूर्ण चंद्रग्रहण होगा।

ग्लोबल वार्मिंग पर नासा की चेतावनी

अल नीनो अंटार्कटिका की सालाना दस इंच बर्फ पिघला रहा है। यह दावा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने ताजा अध्ययन में किया है। **वैज्ञानिकों ने उपग्रह से प्राप्त 1994 से अब तक के आंकड़ों** का आकलन किया है। उनके अनुसार **अल नीनो समुद्र के गर्म पानी का बहाव अंटार्कटिका की ओर कर रहा है,** जिससे वहां की बर्फ लगातार पिघल रही है। सालाना यह आंकड़ा दस इंच का है। हालांकि इससे वहां बर्फबारी की भी घटनाएं हो रही हैं।

क्या है

1. **अल नीनो से अंटार्कटिका का अमंडसेन सागर क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ है।** वहां हिमखंडों की ऊंचाई में सालाना औसत आठ से दस इंच की कमी दर्ज की गई। मतलब पिछले 23 साल में अल नीनो के कारण वहां की 4.6 मीटर से अधिक बर्फ पिघल चुकी है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।
2. यह अध्ययन **खास उपग्रहों की मदद से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियनोग्राफी** के वैज्ञानिकों ने नासा के नेतृत्व में किया। उन्होंने 1994 से लेकर अब तक उपग्रह से अंटार्कटिका की बर्फ पर नजर रखी।
3. वैज्ञानिकों के मुताबिक अल नीनो समुद्र के गर्म पानी को अंटार्कटिका के बड़े हिमखंडों की ओर प्रवाहित करता है। इससे समुद्र के नीचे मौजूद हिमखंडों के बड़े हिस्से पिघल रहे हैं।
4. **अल नीनो के जरिये मौसम में बदलाव हो रहा है।** इससे अंटार्कटिका में बर्फबारी भी हो रही है। लेकिन अल नीनो से ही वहां बर्फ पिघलने की प्रक्रिया बर्फबारी की तुलना में अधिक तेज है। इसलिए बर्फबारी का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ऊपर बर्फबारी के साथ ही समुद्र के नीचे हिमखंड पिघलने की प्रक्रिया जारी रहती है।
5. **मध्य और पूर्व-मध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री जल के औसत से अधिक गर्म होने की प्रक्रिया को अल नीनो कहते हैं।** मौसम चक्र में इसी के कारण बदलाव हो रहा है। इससे विश्व के अलग-अलग हिस्सों में बर्फबारी, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं।

'मकड़ी' की मदद से डायबिटीज ठीक करने की तरकीब

कभी आपने सोचा है कि मकड़ी का जाल डाइबिटीज से आपको छुटकारा दिला सकता है! वैज्ञानिकों ने इसे संभव कर दिखाया है। उन्होंने एक ऐसी नई प्रतिरोपण तकनीक विकसित की है जिसे बाद में हटाया भी जा सकता है और **यह मकड़ी के जाल की विशेषताओं से प्रेरित है जिससे टाइप 1 मधुमेह** पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है। टाइप 1 मधुमेह से **पीड़ित लोगों के लिए रोजाना इंसुलिन के इंजेक्शन** लगाना एक तरह से जीने और मरने का सवाल होता है।

क्या है

1. **इस बीमारी में अग्नाशय में कोशिकाओं का गुच्छा बनाने वाले इन्सुलिन को शरीर का पाचक तंत्र खत्म कर देता है।** इसका कोई उपचार नहीं है लेकिन अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय के एक शोध दल ने एक मरीज के शरीर में हजारों कोशिकाओं का गुच्छा प्रतिरोपित करने का तरीका ईजाद किया है।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

2. **इन कोशिकाओं पर हाइड्रोजेल का पतला-सा कवच होता है** और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कवच वाली कोशिकाएं पॉलीमर धागे से जुड़ी होती हैं और जब वो इस्तेमाल करने लायक ना रहें तो उन्हें आसानी से हटाया भी जा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि प्रतिरोपित कोशिकाओं को हटाने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि **ये ट्यूमर बना सकती हैं।**
3. कॉर्नेल विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर मिन्गलिन मा ने कहा, श्जब वो मर जाती हैं तो उन्हें बाहर निकालने की जरूरत होती है। आप अपने शरीर में ऐसा कुछ नहीं रखना चाहते जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी पद्धति से यह कोई समस्या नहीं है।
4. **मकड़ी के जाल पर जिस तरह से पानी की बूंद होती है, उससे प्रेरणा लेकर मा और उसके दल ने सबसे पहले कैप्सूल से लैस कोशिकाओं के गुच्छे को एक धागे के जरिए जोड़ने की कोशिश की।**

वैज्ञानिकों ने ढूंढे चार नए ग्रह

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने चार नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। ये नए ग्रह सौरमंडल के **सबसे बड़े ग्रह जुपिटर (बृहस्पति)** के काफी मिलते-जुलते हैं और **सभी का अपना एक सूर्य (स्टार) है। HATSouth टेलिस्कोप की** मदद से वैज्ञानिकों ने **सौरमंडल के बाहर चार नए प्लैनेट्स की खोज की है।**

क्या है

1. **सौरमंडल के बाहर पाए जाने वाले इन ग्रहों को ही एक्सोप्लैनेट कहा जाता है।** इन ग्रहों का नाम है - **HATS-50] HATS-51, HATS-52** और **HATS-53** है।
2. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सभी ग्रह जुपिटर प्लैनेट से काफी मिलते हैं क्योंकि ये सभी 10 दिन के अंदर ही अपने सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं। इसके अलावा इन सभी की सतह का तापमान काफी ज्यादा है क्योंकि ये अपने सूर्य का चक्कर बेहद करीब से लगाते हैं।
3. **इनमें से HATS-50b सबसे छोटा ग्रह है। ये धरती से 2300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।** वहीं **HATS-51b** इनमें से सबसे बड़ा ग्रह है जो पृथ्वी से 1560 प्रकाश वर्ष दूर है।

वैज्ञानिकों ने खोजा यरुशलम का ये रहस्य

'Holy city' के नाम से मशहूर यरुशलम शहर में पुरातत्व विभाग को क्ले (चिकनी मिट्टी) पर बनी एक शख्स की छाप मिली है जो 2700 साल पुरानी है। ऐसा माना जा रहा है कि बाइबिल के मुताबिक **ये शख्स उस समय यरुशलम शहर का गवर्नर था। ये क्ले का टुकड़ा सिक्का के आकार का है।** इस पर हिब्रू भाषा में लिखा है - शहर के गवर्नर की संपत्ति (Belonging to the governor of the city)।

क्या है

1. पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का ऐसा मानना है कि संभव है कि **ये टुकड़ा उस दौरान गवर्नर को किसी ने शिप के जरिए तौहफे के रूप में भिजवाया हो।**
2. इस सिक्के नुमा टुकड़े में दो आदमियों का छाप दिखाई दे रही है, जैसे कि एक इंसान की शीशे के सामने खड़े होने के बाद बनती है। इस शख्स ने धारीदार कपड़े पहने हुए हैं। **2700 साल पुरानी छाप का ये टुकड़ा पुराने यरुशलम शहर में पाया गया।**
3. पुरातत्व विभाग के अन्य अधिकारी ने कहा, श्इस क्ले के टुकड़े से ये बात भी पता चलती है कि बाइबिल के मुताबिक 2700 साल पहले यरुशलम शहर में गवर्नर हुआ करता था।
4. ऐसा माना जाता है कि **ईसाई धर्म के ग्रंथ बाइबिल में दो बार यरुशलम के गवर्नर का जिक्र हुआ है।** इसका जिक्र **'जोशुआ' और 'जोसियाह'** नाम के दो राजाओं के कार्यकाल के दौरान हुआ।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

विविध

एक गांव में स्तूप की खोज

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने **शेखपुरा जिला के एक गांव में एक स्तूप की खोज की थी**, जहां से **1,000 ईसा पूर्व यानी करीब 3,000 साल पुराने अवशेष मिले हैं।** इन अवशेषों में मिट्टी के पात्र या बर्तन हैं, जिनके पुरातात्विक महत्व हैं। के पी जायसवाल अनुसंधान संस्थान के कार्यकारी निदेशक बिजॉय कुमार चौधरी ने कहा, श्श्हमने कल उस जगह का दौरा किया, जहां कई अवशेषों को देखकर हम काफी रोमांचित हुए। **ये अवशेष उनके पुरातन अस्तित्व का संकेत देते हैं।** राज्य सरकार द्वारा संचालित यह संस्थान पटना संग्रहालय भवन में स्थित है, जो इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में अनुसंधान करता है। चौधरी ने पीटीआई-भाषा को बताया, **"काले और लाल रंग में वस्तुओं के अवशेष करीब 1,000 ईसा पूर्व के प्रतीत होते हैं।** हमें कुछ नक्काशीदार कलाकृति वाली लाल रंग की वस्तुएं भी मिलीं जो **संभवतः नवपाषाण काल की हो सकती हैं"।**

क्या है

1. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य सरकार के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिये अपनी श्विकास समीक्षा यात्रा के तहत गांव की यात्रा पर थे। इस दौरान मुख्य सचिव भी मुख्यमंत्री के साथ थे।
2. नीतीश की नजर जब इस स्तूप पर पड़ी, तब उन्होंने पाया यह तो **कोई ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व वाला स्थान प्रतीत होता है।** इसके बाद ही मुख्य सचिव ने चौधरी को फोन किया था। **यह गांव राज्य की राजधानी से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।**
3. पुरातत्वविदों को वहां बुद्ध, भगवान विष्णु और कुछ देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं। चौधरी ने बताया इससे पहले भी जब हमारा संस्थान राज्यव्यापी खोज चला रहा था तब भी गांव में कुछ खंडित मूर्तियां मिली थीं। लेकिन उस वक्त ये स्तूप हमारी नजरों से छूट गया था।
4. उन्होंने बताया कि शुरुआती खोज में इस स्थान का पुरातात्विक महत्व सिद्ध हुआ है। चौधरी ने कहा, अब हमारी योजना वहां व्यापक खोज करने की है जिससे संभवतः वहां और भी प्राचीन कलाकृतियां मिलें और लोगों की नजरों से अब तक अनजान रहे इस जगह के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश पड़े।
5. नीतीश कुमार को पुरातत्व में उनकी रूचि के लिये जाना जाता है। **वर्ष 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विश्व ऐतिहासिक धरोहर स्थल का दर्जा मिलने के बाद** कुमार अब राजगीर की विशाल दीवार को भी इसी तरह का दर्जा दिलाने के लिये प्रयासरत हैं।

अंतरजातीय विवाह करने पर मिलेंगे ढाई लाख

अंतरजातीय विवाह की तरह अंतरधार्मिक विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार के पास अभी कोई योजना नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि **सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अंबेडकर योजना को अंतरधार्मिक विवाहों में लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।**

क्या है

1. **अंतरजातीय विवाहों में पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति** का होने पर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
2. **वर्ष 2017-18 से पहले सभी राज्यों में अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 हजार रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक अलग-अलग राशि दी जाती थी**, मगर सरकार ने इसमें एकरुपता लाने के लिए अब सभी राज्यों में यह राशि ढाई लाख रुपए निर्धारित कर दी है।
3. योजना के अनुसार प्रोत्साहन राशि पर होने वाला व्यय केंद्र और **राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है।** केंद्रशासित प्रदेशों को शत प्रतिशत सहायता केंद्र देता है।
4. यदि कोई राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ढाई लाख रुपए से अधिक प्रोत्साहन राशि व्यय करना चाहता है तो अतिरिक्त राशि का खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा, केंद्र अपनी हिस्सेदारी नहीं बढाएगा। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में यह भी कहा कि ढाई लाख रुपए की मौजूदा प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग

सरकार ने श्रीनगर से लेह के दुर्गम सड़क मार्ग को आसान बनाने वाली रणनीतिक जोजिला सुरंग को मंजूरी दे दी है। सात वर्ष में पूरी होने वाली **14.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के निर्माण पर** 6,809 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। **जोजिला सुरंग श्रीनगर-कारगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जोजिला पास के नजदीक बनेगी। यह समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित** है। हर साल दिसंबर-अप्रैल के दौरान यहां इतनी भारी बर्फबारी व हिमस्खलन होता है कि लेह- लद्दाख क्षेत्र का जम्मू-श्रीनगर से संपर्क पूरी तरह कट जाता है।

क्या है

1. **जोजिला सुरंग का निर्माण होने के बाद इस मार्ग पर साल के 365 दिन चौबीसों घंटे वाहनों की आवाजाही संभव हो सकेगी।** पाकिस्तान सीमा से सटे होने के कारण यह सड़क रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिहाजा सुरंग बनने से सेना के लिए भी आसानी हो जाएगी।
2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उक्त परियोजना को मंजूरी दे दी। **जोजिला सुरंग एनएच-1ए पर 95 किमी मील पत्थर को और 118 किमी मील पत्थर को सीधे जोड़कर दूरी को काफी कम कर देगी।**
3. **यह भारत व एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी।** यह दो लेन वाली दुतरफा सिंगिल ट्यूब सुरंग होगी जिसके समानांतर एक अन्य एंग्रेस सुरंग का निर्माण आपातस्थिति में राहत एवं बचाव कार्यो के लिए किया जाएगा। परियोजना का कार्यान्यवन एनएचआइडीसीएल द्वारा किया जाएगा।
4. जोजिला सुरंग पर अगले साल जून से काम शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच जम्मू-कश्मीर में इसी सड़क पर गगनगीर में 6.5 किलोमीटर जेड मोड सुरंग का निर्माण तेजी से हो रहा है।
5. इन दोनो सुरंगों के पूरा होने के बाद कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों का आपस में बारहमासी सड़क संपर्क शुरू हो जाएगा। दोनो परियोजनाओं से क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
6. इस प्रोजेक्ट का ठेका अवार्ड करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि इतने दुर्गम क्षेत्र व स्थितियों में कार्य करने के लिए कोई पार्टी नहीं आ रही थी। अंततः शर्तो का सरल करना पड़ा। परियोजना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप भी लगाए थे। लेकिन सरकार ने उनका दृढ़तापूर्वक खंडन किया था।

बच्चों को बेचे जाने से ज्यादा खराब कुछ नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बच्चों को बेचे जाने से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की तस्करी के मामले में इन टिप्पणियों के साथ **देश भर के अनाथालयों के प्रबंधन और बच्चों की तस्करी** पर सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये नोटिस मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने **राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की याचिका** पर सुनवाई के दौरान दिये। **याचिका में पश्चिम बंगाल के अनाथालय में बच्चों की तस्करी के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।**

क्या है

1. बाल आयोग की ओर से पेश एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि **हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को मामले में जांच करने से रोक दिया है** जबकि कानूनन राष्ट्रीय आयोग को ऐसे मामले में जांच करने का अधिकार है।
2. पीठ ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि **ये मामला बच्चों की तस्करी से जुड़ा है।** ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है इसलिए इस पर सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी करते हुए अपने आदेश में उन प्रसिद्ध पंक्तियों को दर्ज किया जिसमें कहा गया है कि **'चाइल्ड इज दा फादर आफ मैन'**।
3. सुप्रीम कोर्ट ने एम.सी. मेहता की बाल मजदूरी से जुड़ी एक याचिका पर आदेश में कहा था कि बच्चों को फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जहां खतरा होता है।
4. कोर्ट ने मौजूदा स्थिति की बात करते हुए कहा कि बच्चों को बेचे जाने से खराब कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि देश का भविष्य बच्चों के चरित्र और उनके भविष्य पर निर्भर करता है और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

सरकार की जिम्मेदारी है। पीठ ने कहा कि एक बच्चे को अनाथालय के प्रभारी की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चा देश का भविष्य होता **है।**

5. **पीठ ने कहा कि पूरे देश में अनाथालयों के संचालन और उनके प्रबंधन के तौर तरीकों के बारे में एक समग्र नजरिया अपनाए जाने की जरूरत है**। कोर्ट ने याचिकाकर्ता बाल आयोग से कहा कि वह अपनी याचिका में संशोधन कर सभी राज्यों को पक्षकार बनाए।
6. याचिका संशोधित होने के बाद रजिस्ट्री सभी राज्यों को ईमेल के जरिये नोटिस भेजेगी। और राज्य उसका दो सप्ताह में जवाब देंगे। कोर्ट ने मानवाधिकार अदालतों के गठन का जिक्र करते हुए कहा कि आगे मामले पर सुनवाई के दौरान इस पर भी विचार किया जाएगा। कोर्ट इस मामले में 22 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा। इस दौरान कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश और सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

चारा घोटाला में सजा

रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के 21 साल पुराने एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 16 लोगों को सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की कैद एवं पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। लालू के अलावा अन्य दोषियों – फूलचंद, महेश प्रसाद, सुनील कुमार, सुशील कुमार, बेक जुलियस, सुधीर कुमार और राजा राम को 3.5 साल की कैद एवं 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या है

1. **कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2017 को चारा घोटाले के एक मामले** (देवघर कोषागार से फर्जी बिल बना कर राशि की निकासी) में 22 आरोपियों में से पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र समेत 6 लोगों को बरी कर दिया था। लालू समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, ध्रुव भगत, अजित चंद्र, विद्यासागर को बरी कर दिया था।
2. **मामले में लालू यादव समेत सभी दोषियों को तीन साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है** इसलिए जमानत के लिए उन्हें हाईकोर्ट का रूख करना होगा। अगर तीन साल या उससे कम की सजा होती तो उन्हें रांची कोर्ट से ही जमानत मिल जाती।
3. **21 साल पुराने इस मामले में सीबीआई ने शुरु में 34 लोगों को आरोपी बनाया था।** इसमें 11 की मौत ट्रायल के दौरान हो गई। दो आरोपी सरकारी गवाह बन गए और निर्णय के पूर्व ही अपना दोष स्वीकार कर लिया था। सीबीआई ने इस मामले में देवघर कोषागार से फर्जी बिल बना कर राशि की निकासी करने का आरोप लगाया था। आपूर्तिकर्ताओं पर बिना सामान की आपूर्ति किए बिल देने और विभाग के अधिकारियों पर बिना जांच किए उसे पास करने का आरोप था। लालू प्रसाद पर गड़बड़ी की जानकारी होने के बाद भी इस पर रोक नहीं लगाने का आरोप था।
4. लालू यादव चारा घोटाले में पांच केस का सामना कर रहे हैं।
5. **जिस केस में सुनवाई हुई वह 1994 से 1996 के बीच देवघर जिला कोषागार से फर्वीवाड़े तरीके से निकाले गए 84.5 लाख रूपये से जुड़ा हुआ है।**
6. विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने नौ सौ पचास करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मुकदमे में यह सजा सुनाई।
7. **यह मामला वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से अवैध तरीके से रुपये की निकासी से संबंधित है।** सीबीआई ने 27 अक्तूबर, 1997 को मुकदमा संख्या आरसी, 64 ए, 1996 दर्ज किया था और लगभग 21 वर्षों बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया।
8. इस मामले में कुल 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 11 की मौत हो चुकी है, वहीं तीन सीबीआई के गवाह बन गये जबकि दो ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया था जिसके बाद उन्हें 2006-07 में ही सजा सुना दी गयी थी। इसके बाद 22 आरोपी बच गए थे, जिनको लेकर आज फैसला सुनाया गया।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

9. इस मामले में तीन आईएएस अधिकारियों फूलचंद सिंह, बेक जूलियस एवं महेश प्रसाद को भी आरोपी बनाया गया था।
10. इससे पहले चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, सत्तर लाख रुपये अवैध ढंग से निकासी करने के चारा घोटाले के एक अन्य मामले में इन सभी को सजा हो चुकी है।

अंतरिक्ष यात्री जॉन यंग का निधन

अंतरिक्ष में छह बार जाने वाले, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले और इसके चट्टानी सतह पर चहल-कदमी करने वाले एक **महान अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन यंग का निधन हो गया है।** यह जानकारी **नासा ने दी है।**
अंतरिक्ष एजेंसी ने खबर दी है कि, **वह 87 साल के थे और निमोनिया के कारण** उनका निधन हो गया। वह नासा स्पेस सेंटर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित ह्यूस्टन के एक उपनगर में रहते थे।

क्या है

1. एजेंसी के प्रशासक रॉबर्ट लिटफुट ने एक बयान में बताया कि, 'नासा और दुनिया ने एक अग्रणी व्यक्ति को खो दिया है।'
2. यंग एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने **जैमिनी, अपोलो से अंतरिक्ष में गये और अंतरिक्ष शटल कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और छह बार अंतरिक्ष में गये।**
3. नासा ने बताया कि, एक बार उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय व्यतीत करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

भारत में दो तिहाई बच्चे शारीरिक शोषण के शिकार

देश में दो तिहाई बच्चे 18 वर्ष की आयु से पहले शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण का शिकार बन जाते हैं और बिहार, हरियाणा, ओड़िसा तथा नई दिल्ली में बच्चों का शोषण अधिक देखा गया है, जहां बच्चे अमानवीय हालातों में रहने को मजबूर हैं। **संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बाल शोषण निरोधक विश्व समिति** में शामिल चिकित्सक डॉ राजीव सेठ ने यहां यह जानकारी दी है।

क्या है

1. इंडियन अकेडमी ऑफ पीडीएट्रिक्स के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने आए डॉ सेठ ने बताया कि, **केन्द्र सरकार ने कुछ माह पहले 13 राज्यों में एक निकाय का गठन किया था,** जिसने अपने सर्वेक्षण में पाया कि **देश के 70 राज्य जिलों में 50 फीसदी बच्चे शारीरिक शोषण का शिकार हैं।**
2. **बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओड़िसा और नई दिल्ली ऐसे राज्य हैं,** जहां बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन सबसे अधिक होता है और बच्चों को अमानवीय हालातों में काम करना पड़ रहा है। ऑनलाइन हिंसा में भी हर सेकंड पांच बच्चों को इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।
3. देश में 8.30 करोड़ बच्चों की शादी युवावस्था से पहले ही कर दी जाती है और यह भी पाया गया है कि बाल हिंसा के शिकार बच्चों में से 46 प्रतिशत को उन्हीं के जानने वालों या परिचितों ने शिकार बनाया।
4. देश में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.5 प्रतिशत ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च किया जाता है और इसमें से भी मात्र दशमलव पांच प्रतिशत बाल सुरक्षा और उनके उपचार पर खर्च किया जा रहा है।

दिल्ली की महिला को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार

दिल्ली की आर्किटेक्ट ऐश्वर्या टिपनिस को फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोलकाता में टिपनिस को यह सम्मान दिया जाएगा। उन्हें देश में फ्रांसीसी **धरोहरों को संवारने और सहेजने की दिशा में बेहतरीन काम करने पर यह सम्मान दिया जा रहा है।** फ्रांसीसी राजदूत एलेक्जेंडर जिगलर उन्हें यह पुरस्कार देंगे। फ्रांस के कला मंत्रालय की तरफ से टिपनिस को भेजे पत्र में कहा गया है कि **टिपनिस ने भारत में फ्रांसीसी धरोहरों को सहेजने में अतुलनीय योगदान दिया है,** इसके लिए उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा है।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

क्या है

1. **यह अवार्ड कला के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है।**
2. दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की पूर्व छात्रा ऐश्वर्या टिपनिस ने धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए उनकी देशभर में ख्याति भी है।
3. 2016 में मध्य प्रदेश के महीदपुर किले के संरक्षण के लिए उन्होंने काफी काम किया, इसके लिए भी उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा पुर्नरुद्धार परियोजना के तहत टिपनिस ने देहरादून के दून स्कूल के लिए भी काफी काम किया है। इसके लिए वह यूनेस्को की तरफ से पुरस्कृत हो चुकी हैं।

कौन है ऐश्वर्या टिपनिस?

1. दिल्ली निवासी 37 साल की ऐश्वर्या टिपनिस संरक्षण आर्किटेक्ट (वास्तुकार) हैं।
2. वे नई दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) की छात्रा रही हैं।
3. टिपनिस यूरोपीय शहरी संरक्षण में परास्नातक हैं।
4. उन्होंने खुद को देश की विरासत के संरक्षण के लिए खुद को समर्पित किया है।
5. उन्होंने कई परियोजनाओं पर काम किया है और देश के लिए कई खिताब भी जीते हैं।
6. 2016 में मध्यप्रदेश में महिंदपुर किले के संरक्षण पर किए काम पर सराहा गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया।
7. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को ने पुरस्कार से सम्मानित किया।

देश में सिर्फ छह राज्यों को है दिव्यांगों का ख्याल

देशभर के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल छह राज्यों के पास ही दिव्यांगों से जुड़े मुद्दों की देखभाल के लिए विभाग और जिला सामाज कल्याण अधिकारी हैं। **एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट** में यह जानकारी दी है। **दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है** कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि केंद्र सरकार की ओर से विशेष निर्देश दिया जा चुका है।

क्या है

1. **केवल छह राज्यों के पास दिव्यांग व्यक्तियों के मुद्दों का समाधान करने के लिए समर्पित विभाग/जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं।**
2. ये राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। समिति ने कहा है कि इससे दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति राज्य सरकारों की उदासीनता और असंवेदनशीलता का पता चलता है।
3. संसदीय समिति ने दिव्यांग व्यक्तियों के विभाग को राज्यों के सामने उच्चस्तर पर दिव्यांगता संबंधित समर्पित विभाग होने और प्रदेश दिव्यांगता आयुक्त की नियुक्ति करने का मुद्दा उठाने के लिए कहा है।
4. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, श्यह प्रयास भी कोई परिणाम देने में विफल रहता है, तो **दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए राज्य दिव्यांगता आयुक्त की नियुक्ति** को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

बापू की हत्या की दोबारा नहीं होगी जांच

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या मामले में अदालत की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बतौर एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) नियुक्त किए गए पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अमरेंद्र शरण ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

उन्होंने कहा है कि **इस केस की दोबारा जांच की जरूरत नहीं है।** एमिकस क्यूरी ने कहा है, ''पहले पुख्ता जांच हुई. किसी विदेशी एजेंसी का हाथ होने, दो लोगों के फायरिंग करने और चार गोली चलने के दावों में दम नहीं है।

क्या है

1. **सुप्रीम कोर्ट में महात्मा की हत्या में दोबारा जांच की मांग के साथ याचिका दाखिल की गयी थी।**अभिनव भारत के ट्रस्टी व रिसर्चर, मुंबई के डॉक्टर पंकज फडनीस ने कई कारणों से इस मामले की दोबारा जांच के लिए याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि कि गांधीजी की हत्या में किसी विदेशी एजेंसी का हाथ हो सकता है।
2. जस्टिस एस. ए. बोबडे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की **सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 7 अक्टूबर 2017 को शरण को एमिकस क्यूरी नियुक्त करते हुए उन्हें निर्देश दिया था** कि वह गांधी हत्याकांड से जुड़े दस्तावेजों की जांच करें। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गांधी जी को नाथूराम विनायक गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पहली बार वकील सीधे जज बनेंगी

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा और उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। **इंदू मल्होत्रा पहली महिला वकील हैं जिन्हे सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम** ने सरकार से इन दोनों ही लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। **इंदू मल्होत्रा को 2007 में वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया गया था।** वे सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नियुक्त हुई **सातवीं महिला जज होंगी**। अभी फिलहाल **सुप्रीम कोर्ट में आर. भानुमति अकेली महिला जज हैं।** स्वतंत्रता के बाद से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ छह महिला जज हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट में महिला जज

1. सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना उसके 39 साल बाद **1989 में एम फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुईं।** फातिमा बीवी केरल हाईकोर्ट से सेवानिवृत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुई थी। वे 29 अप्रैल 1992 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत हुईं। बाद में वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी नियुक्त हुईं।
2. सुप्रीम कोर्ट में **दूसरी महिला जज सुजाता वी मनोहर हुईं** जिन्होंने जज के रूप में अपने कैरियर की शुरूआत बाम्बे हाईकोर्ट जज से की थी। वे सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर 1994 से 27 अगस्त 1999 तक न्यायाधीश रहीं। जस्टिस सुजाता मनोहर के सेवानिवृत होने के करीब पांच महीने बाद जस्टिस रूमा पाल सुप्रीमकोर्ट की जज बनीं। जस्टिस पाल सबसे लंबे समय तक रहीं। वे 28 जनवरी 2000 से लेकर 2 जून 2006 तक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रहीं। उनके बाद चार साल तक सुप्रीम कोर्ट मे कोई महिला जज नहीं रही।
3. चार साल बाद झारखंड हाईकोर्ट की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश **जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त हुईं।** जस्टिस मिश्रा 30 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट जज बनी और 27 अप्रैल 2014 को सेवानिवृत हुईं। इसी दौरान जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं। जस्टिस देसाई 13 सितंबर 2011 से लेकर 29 अक्टूबर 2014 तक सुप्रीम कोर्ट जज रहीं। इस दौरान पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक साथ दो महिला जज रहीं।
4. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सेवानिवृति के करीब दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान महिला जज आर. भानुमति सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुईं। जस्टिस भानुमति 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश नियुक्त हुईं वे 19 जुलाई 2020 को सेवानिवृत होंगी। सुप्रीम कोर्ट के 67 सालों के इतिहास में सिर्फ दो बार एक साथ दो महिला जज रहीं।

क्या है

1. **जस्टिस के.एम. जोसेफ फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज हैं।** वे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का आदेश रद करने वाली पीठ में शामिल थे। उसके बाद उनके स्थानांतरण की चर्चाएं रहीं लेकिन उत्तराखंड से उनका स्थानांतरण नहीं हुआ।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

2. कोलेजियम ने इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज जस्टिस शिव कुमार सिंह को स्थाई करने की सिफारिश की है। हालांकि कोलेजियम के समक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुल 11 अतिरिक्त जजों को स्थाई करने का प्रस्ताव था लेकिन शिव कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा था इसलिए फिलहाल उनके बारे में सिफारिश की गई है। बाकी प्रस्तावों पर कोलीजियम बाद में विचार करेगी।

दुनिया के तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता

वैश्विक स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का एक और रिकॉर्ड सामने आया है। एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में **पीएम मोदी को दुनिया का तीसरा सबसे लोकप्रिय नेता करार दिया गया है।** गौर फरमाने वाली बात ये भी है कि यह सर्वेक्षण पीएम मोदी के दावोस में वैश्विक आर्थिक मंच में हिस्सा लेने से पहले आया है। पीएम मोदी पहले भी वैश्विक स्तर पर अपनी लोकप्रियता का डंका बजा चुके हैं। मगर दावोस सम्मेलन को देखते हुए ताजा सर्वेक्षण के परिणाम भारत के उत्साह को बढ़ाने वाले हैं। **पीएम मोदी 22 जनवरी को इस दो दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं।**

क्या है

1. **गैलप इंटरनेशनल ने वैश्विक नेताओं को लेकर अपने सालाना सर्वेक्षण में पीएम मोदी को तीसरे स्थान पर रखा है।** पीएम मोदी ने लोकप्रियता के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे जैसे दिग्गज वैश्किव नेताओं को पीछे छोड़ दिया है।
2. **इस सर्वेक्षण में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन को पहले और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को दूसरे स्थान पर रखा गया है।**
3. इमैनुएल मैक्रॉन को 21, मर्केल को 20 और पीएम मोदी को आठ अंक दिए गए हैं। वहीं सात अंकों के साथ थेरेसा में चौथे स्थान पर और छह अंकों के साथ चिनफिंग पांचवे स्थान पर हैं।
4. दुनिया के 50 अलग-अलग देशों में हुए सर्वेक्षण के बाद यह निष्कर्ष सामने आया है। गैलप इंटरनेशनल के अनुसार, 53,769 लोगों के बीच सर्वेक्षण कराया गया था। हर एक देश से प्रतिनिधित्व के तौर पर 1000 लोगों से आमने-सामने, ऑनलाइन या फिर फोन के जरिए सर्वेक्षण किया गया। इसके लिए फील्ड वर्क पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच किया गया।
5. इस सर्वेक्षण में **अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी पीछे रह गए। उन्हें 11वें स्थान पर जगह मिल पाई है।** जबकि सऊदी अरब के किंग और इजरायल के प्रधानमंत्री भी लोकप्रियता के मामले में उनसे आगे हैं। दोनों क्रमशः सातवां और आठवां स्थान हासिल हुआ है।

वैज्ञानिकों ने इजाद की नई सेंसर कैप्सूल

वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार का सेंसर कैप्सूल विकसित किया है। इसे भी अन्य गोलियों की तरह निगला जा सकता है। यह आंत में पहुंचने के बाद उसकी सेहत और विभिन्न प्रकार की गैसों पर नजर रख सकता है। इससे **पेट और कोलोन संबंधी विकारों** की पहचान आसानी से हो सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, **यह कैप्सूल प्रतिरक्षा तंत्र समेत शरीर के दूसरे तंत्रों पर नई रोशनी भी डाल सकता है।**

क्या है

1. यह नई तकनीक उन हर पांच पीड़ितों में से एक के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जो **आजीवन गैस्ट्रोइंटेस्टनल डिसआर्डर से जूझते रहते हैं।**
2. इस इंजेस्टिबल कैप्सूल को ऑस्ट्रेलिया की आरएमआइटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। **यह आंत में हाइड्रोजन, कार्बन डाईआक्साइड और ऑक्सीजन** जैसी गैसों का आकलन कर सकता है।
3. यह कैप्सूल मोबाइल फोन पर आंकड़ों को भेज भी सकता है। इस कैप्सूल का पहला मानवीय परीक्षण किया जा चुका है। इसके परिणाम बेहद उत्साहजनक पाए गए हैं।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

15 वर्ष बाद मंगल पर कदम रखेगा इंसान

दशकों से दुनियाभर के वैज्ञानिक और अंतरिक्षयात्री मंगल ग्रह पर जाने की योजना पर काम कर रहे हैं। **संयोग से यह साल यानी 2018 इस योजना को धरातल पर लाने का अच्छा समय है।** इस साल जुलाई में पृथ्वी और **मंगल ग्रह 15 वर्षों में सबसे करीब आएंगे।** ऐसे में इंसान को मंगल तक पहुंचने में महज 200 दिन लगेंगे। लेकिन न तो अंतरिक्ष एजेंसियां और न ही वैज्ञानिक इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। लिहाजा 15 वर्ष बाद जब ऐसा संयोग दोबारा बनेगा, तब इंसान के मंगल पर कदम रखने की संभावना है। नासा ने इस योजना की पुष्टि भी कर दी है।

क्या है

1. **इस साल जुलाई में जब पृथ्वी और मंगल के बीच दूरी सबसे कम होगी** तो मंगल तक पहुंचने में मात्र 200 दिन लगेंगे। यह समय निकल जाने बाद दोनों ग्रहों के बीच दूरी बढ़ने पर मंगल तक जाने में 250 दिन लगेंगे। ठीक ऐसा ही 15 वर्ष बाद होगा।
2. दुनियाभर के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र और निजी कंपनियां निकट भविष्य में मंगल पर लोगों को उतारने की तैयारियां कर रही हैं। **नासा ने 15 वर्ष का लक्ष्य रखा है** तो निजी कंपनी स्पेस एक्स 2024 में ही मंगल पर इंसानों को ले जाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है।
3. बेहद खर्चीले अभियान की लागत कम करने के लिए सबसे पहले दोबारा इस्तेमाल होने में सक्षम रॉकेट बनाने होंगे। **स्पेस एक्स कंपनी काफी समय से ऐसे रॉकेटों के निर्माण पर काम कर रही है।**
4. कंपनी अपने सभी रॉकेट हटाकर उनकी जगह ऐसा रॉकेट लाने की तैयारी कर रही है जो किसी लांच व्हीकल से प्रक्षेपित किया जा सकेगा। **बीएफआर नाम का यह रॉकेट 100 लोगों और 1.5 लाख किग्रा वजन ले जाने में सक्षम होगा।**
5. पिछले पांच वर्षों से **हाइ-सीस (हवाई स्पेस एक्सप्लोरेशन एनालॉग एंड स्टिमुलेशन) प्रोजेक्ट** के तहत अंतरिक्षयात्रियों के अलग-अलग दल को हवाई द्वीप के पास आठ महीने तक एकांत में रखा जा रहा है, जिससे वे मंगल के वातावरण का अनुकूलन ला सकें।

ब्लाइंड वर्ल्डकप में भारत ने नेपाल को हराया

भारतीय टीम ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए 14 जनवरी 2018 को **दुबई में अपने आखिरी लीग मैच में नेपाल को आठ विकेट से हराकर दृष्टिबाधित विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया** जहां उसका मुकाबला बांग्लादेश से होगा।

क्या है

1. **नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया** लेकिन भारत ने उसे 37.5 ओवर में 156 रन ही बनाने दिये।
2. भारत की तरफ से प्रकाश जयरमैय्या ने दो जबकि कप्तान अजय रेड्डी, रामबीर, प्रेम कुमार और जफर इकबाल ने एक-एक विकेट लिया।
3. भारत ने दो विकेट पर 157 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। **मैन ऑफ द मैच अजय गरिया ने 29 गेंदों पर 54,** महेंदर ने 30 गेंदों पर नाबाद 40 और रामबीर ने 23 गेंदों पर नाबाद 38 रन बनाये।
4. इस तरह से भारत ने लीग चरण में अपने सभी मैच जीते। भारत और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल 17 जनवरी को खेला जाएगा।

रासायनिक हथियारों का जखीरा

पिछले दिनों सेना प्रमुख **जनरल विपिन रावत ने युद्ध में नए तरह के हथियारों के खतरे से देश को आगाह किया।** उन्होंने कहा कि **रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु हथियारों (सीबीआरएन)** के उपयोग का खतरा वास्तविक बनकर उभरा है। सेना प्रमुख ने कहा कि पारंपरिक सेना के विपरीत, सीबीआरएन से मुकाबला एक "अति

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

अप्रत्याशित" वातावरण में करना होता है, जहां शत्रु भारत का मुकाबला करने के लिए "विषम" साधनों का उपयोग कर सकते हैं।

क्या है

1. **रासायनिक युद्ध का अर्थ है - किसी युद्ध में रासायनिक पदार्थों के विषैले गुणों का उपयोग करके जन-धन की हानि पहुंचाना**। रासायनिक युद्ध, परमाणु युद्ध (या, नाभिकीय युद्ध) से अलग है।
2. सामान्य भाषा में **नाभिकीय युद्ध, जैविक युद्ध तथा रासायनिक युद्ध को सम्मिलित रूप से महासंहारक हथियार कहलाते हैं।** रासायनिक युद्ध अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विस्फोटक बलों पर निर्भर नहीं करता है बल्कि रसायनों के विषकारी घातक प्रभावों पर निर्भर है।
3. **कैमिकल वीपन्स कन्वेंशन (1993)** के अंतर्गत कानूनी तौर पर **रासायनिक हथियारों का उत्पादन, भंडारण या इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।**
4. हालांकि, **1993 कैमिकल वीपन्स कन्वेंशन(सीडब्ल्यूसी)** इसे नियंत्रित करन का सबसे हालिया समझौता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मानना बाध्यकारी है।
5. प्रतिबंध के बावजूद इसका कई देशों के पास अब भी जखीरा मौजूद है। **सीब्ल्यूसी पर 192 हस्ताक्षर करनेवाले देशों में दुनिया की कुल आबादी का 98 फीसदी आबादी बसती है।**
6. जून 2016 तक इन देशों में कुल भंडार जून 2016 तक 72,525 मीट्रिक टन में से 66,368 टन भंडार को खत्म कर दिया गया। यानि 92 फीसदी भंडार को खत्म कर दिया गया।
7. साल 2017 तक सिर्फ नॉर्थ कोरिया और अमेरिका ने ही इस बात की पुष्टि की है कि उनके पास कैमिकल हथियार है।

रूस

1. **रुस जिस वक्त सीडब्ल्यूसी पर दस्तख़त किया था** उस वक्त उसके पास कैमिकल हथियारों का सबसे बड़ा भंडार था। लेकिन, **2010 आते आते उसने 18,241 टन्स कैमिकल को खत्म कर दिया।**
2. जबकि, साल 2016 तक रूस ने अपने 94 फीसदी कैमिकल वीपन्स खत्म कर दिए और बाकी कैमिकल 2018 के अंत तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है।

यूनाईटेड स्टेट्स

1. **यूएस ने कैमिकल हथियारों का जखीरा देश के अमेरिकी प्रायद्वीप के आठ सैन्य प्रतिष्ठानों में भंडारण किया हुआ था।** हालांकि, इनमें से कई जगहों पर कैमिकल हथियारों को खत्म किया जा रहा है।
2. अमेरिका ने कैमिकल वीपन्स को जवाबी तौर पर इस्तेमाल के अपने अधिकार को सुरक्षित कर रखा है। सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति ही जवाबी कार्रवायी में कैमिकल हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे सकता है।

नॉर्थ कोरिया

1. **नॉर्थ कोरिया ने सीडब्ल्यूसी पर हस्ताक्षर नहीं किया है** और उसके कैमिकल कार्यक्रम के बारे में कभी भी आधिकारिक तौर पर नहीं जाना जा सका है।
2. लेकिन, ऐसा माना जा रहा है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में रासायनिक हथियारों का भंडार है। ऐसा कहा जा रहा है कि **नॉर्थ कोरिया ने रासायनिक हथियार बनाने के लिए जरूरी टर्बुन और मस्टर्ड गैस 1950** से भी पहले ही हासिल कर ली थी।
3. साल 2009 में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने आपसी सहमति जताते हुए अंदेशा जताया था कि नॉर्थ कोरिया के पास करीब 2,500 टन से 5,000 टन कैमिकल वीपन्स का भंडार है।

भारत

1. **भारत 14 जनवरी 1993 को आधिकारिक तौर पर कैमिकल वीपन्स कंट्रीज (सीडब्ल्यूसी) पर हस्ताक्षर करने** के बाद जून 1997 में 1044 टन्स सल्फर मस्टर्ड के भंडार की घोषणा की थी।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

2. साल 2006 तक भारत ने 75 फीसदी कैमिकल मैटीरियल को खत्म कर दिया। 14 मई 2009 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस बात का ऐलान किया कि उसने कैमिकल हथियारों के भंडार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।

इराक

1. **कैमिकल वीपन्स पर नजर रखनेवाले 'द ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन ऑफ कैमकल वीपन्स' ने साल 2009** में इस बात की घोषणा की थी कि इराक सरकार ने अपने सभी रासायनिक हथियारों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के सामने जमा करा दिया है। उसके बाद वह कैमिकल कन्वेंशन का 186वां सदस्य बना गया।

जापान

1. **जापान ने कैमिकल हथियारों का 1937 से 1945 के दरम्यान किया था।** हालांकि, सितंबर 2010 में चीन और जापान ने संयुक्त रूप से उसे खत्म करने का फैसला किया।

जजों के विवाद में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल

सुप्रीम कोर्ट के चार जजों द्वारा की गई **प्रेस कांफ्रेंस से उपजी स्थिति पर विचार विमर्श के लिए बार काउंसिल आफ इंडिया ने बैठक बुलाई।** बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कहा कि **यह न्यायपालिका का आंतरिक मसला है इसलिए इसे आंतरिक रूप से सुलझाया जाए।** उन्होंने कहा कि मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बार काउंसिल के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिलने के लिए **काउंसिल ने 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों से मुलाकात करेगा।** मनन मिश्रा ने कहा प्रधानमंत्री और कानून मंत्री ने खुद कहा था कि **यह न्यायपालिका का आतंरिक मसला है और सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी**। हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं।

क्या है

1. **बार काउंसिल आफ इंडिया का प्रतिनिधि मंडल** जजों से मिलने की कोशिश करेगा ताकि जो विवाद उपजा है उसे जज आपस में मिल बैठ कर सुलझा लें। प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में उपलब्ध सभी सुप्रीम कोर्ट जजों से मिलने का प्रयास करेगा।
2. 12 जनवरी 2018 का दिन **सुप्रीम कोर्ट के इतिहास मे अभूतपूर्व घटना के रूप में दर्ज हो गया।** यूं तो कई मसलों पर कोर्ट के अंदर मतभेद की चर्चा होती रही है, लेकिन बगावत हुई।
3. **लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ में मोटी दरार दिखी।** जस्टिस जे.चेलमेश्वर के आवास पर जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एमबी लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसफ ने मीडिया से रूबरू होते हुए आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन में सबकुछ ठीक नहीं है और कई ऐसी चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। **अगर यह संस्थान सुरक्षित नहीं रहा तो लोकतंत्र खतरे में होगा।**
4. जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि चारो जजों ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को कुछ दिनों पहले पत्र लिखकर अपनी बात रखी थी। उनसे मुलाकात कर शिकायत की लेकिन वह नहीं माने और इसीलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा।
5. उन्होंने मीडिया को सात पेज की वह चिट्ठी भी वितरित की जो जस्टिस मिश्रा को लिखी गई थी। उस पत्र में मुख्य रूप से पीठ को केस आवंटित किए जाने के तौर तरीके पर आपत्ति जताई गई है।
6. **न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के एक मुद्दे का तो पत्र में उल्लेख है** लेकिन माना जा रहा है कि यह खींचतान लंबे अर्से से चल रही थी और संभवत: सीबीआइ जस्टिस बीएच लोया की मौत का मुकदमा तात्कालिक कारण बना जिसपर सुप्रीम कोर्ट के अन्य बेंच में सुनवाई थी।

नैतिकता बनाम समलैंगिकता

समाज में नैतिकता बनाम समलैंगिकता की बहस बहुत पुरानी है, लेकिन नौ साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जब स्थापित सामाजिक मान्यताओं से हटकर अपने महत्वपूर्ण फैसले में वयस्कों के बीच सहमति से बनाए जाने वाले **समलैंगिक संबंधों को वैध घोषित किया तो इस फैसले को समलैंगिक समुदाय** अपने अधिकारों की लड़ाई में मील का पत्थर मानने

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**

लगा। हालांकि **दिसंबर 2013 में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था।** समान लिंग के प्रति आकर्षण रखने वाले पुरुष व महिला को समलैंगिक माना जाता है।

क्या है धारा 377

1. **18 साल से अधिक उम्र का कोई स्वेच्छा से पुरुष, महिला या पशु से अप्राकृतिक यौन संबंध** स्थापित करे तो उसे आजीवन कारावास या दस साल तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान।
2. 1935 में पहली बार इसमें संशोधन करके इसका दायरा बढ़ाया गया।
3. समलैंगिकता के खिलाफ कानून 155 साल पुराना। 1861 में अंग्रेजों ने लागू की थी धारा 377

संघर्ष दर संघर्ष

1. 2001 : नाज फाउंडेशन ने जनहित याचिका दायर कर इसे वैधता देने की दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की
2. 2 जुलाई, 2009: अदालत ने धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया
3. 11 दिसंबर, 2013: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा।
4. जनवरी, 2014: सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका ठुकराई
5. फरवरी, 2016: 2013 के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत। याचिका को पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ को भेजने की बात कही।

दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा हीरा मिला

दक्षिणी अफ्रीका स्थित देश लेसोथो में दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। हीरा खदान करने वाली कंपनी जेम डायमंड्स ने 15 जनवरी 2018 को यह जानकारी दी। **जेम डायमंड्स को यह हीरा लेटसेंग खदान से मिला।** इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ डॉलर है।

क्या है

1. 910 कैरट का है यह हीरा
2. 254 करोड़ रुपये है कीमत
3. **लेटसेंग खदान से अब तक का नायाब हीरा**
4. इससे पहले 603 कैरेट का लेसोथो प्रॉमिस हीरा इस खदान से मिलने वाला सबसे नायाब हीरा था।
5. 2006 से अब तक लेसोथो स्थित इस खदान से दुनिया के कई बेशकीमती हीरे निकल चुके हैं।

दुनिया के पांच सबसे बड़े हीरे

1.	द गोल्डन जुबली	545.67
2.	द कुलिनन प्रथम	530.20
3.	द इनकंपेरेबल	407.48
4.	द कुलिनन द्वितीय	317.4
5.	द स्पिरिट ऑफ डी ग्रिसोगोनो	312.24

दुनिया के पांच सबसे कीमती हीरे

	नाम	**कीमत**
1.	कोहेनूर	अनमोल, कोई कीमत नहीं
2.	द सैंकी	अनमोल, कोई कीमत नहीं
3.	द कुलिनन	40 करोड़ डॉलर
4.	द होप	35 करोड़ डॉलर
5.	डी बीएर्स शताब्दी	40 करोड़ डॉलर

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(INDORE)** 9893772941, **www.ksgindia.com**